अनुक्रमणिका

क्र0 सं0	विषय	पृष्ठ संख्या
1	उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियमावली, 1976	71—97
2	नियमावली के नियम 2 में किये गये संशोधन से सम्बन्धित प्रथम संषोधन नियमावली, दिनांक 26 अगस्त, 1982	98
3	मूल नियमावली की अनुसूची में स्तम्भ—1 में किये गये संशोधन से सम्बन्धित द्वितीय संशोधन नियमावली, दिनांक 8 अगस्त, 2003	99
4	नियमावली के नियम 6(1), नियम 9, नियम 10 एवं अनुसूची—क में किये गये संशोधन से सम्बन्धित तृतीय संषोधन नियमावली, दिनांक 26 नवम्बर, 2018	100—104
5	नियमावली के नियम 2, नियम 6, नियम 9, नियम 10, नियम 16, नियम 18, नियम 19, नियम 20, नियम 21, नियम 22, नियम 23, नियम 24, नियम 25, नियम 26, नियम 27, नियम 28, नियम 33, नियम 40, नियम 48 एवं परिशिष्ट—1 में किये गये संशोधन से सम्बन्धित चतुर्थ संषोधन नियमावली, 2019 दिनांक 14 जनवरी, 2020	105—143
6	नियमावली के नियम 10(7) में किये गये संशोधन से सम्बन्धित पंचम संशोधन नियमावली, 2020 दिनांक 23 सितम्बर, 2020	144

उत्तर प्रदेश सरकार

संसदीय अनुभाग

संख्या 2003 – सं/17–100–68

लखनऊ, 19 जून, 1976

विज्ञप्ति

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद, 187 के खण्ड (3), द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके राज्यपाल, माननीय सभापति, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के परामर्श से, विधान परिषद् सचिवालय के साचविक कर्मचारीवृन्द में भर्ती के तथा नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित "उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तों) की नियमावली, 1976" प्रख्यापित करते हैं :–

उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तों) के नियम, 1976

भाग–1

प्रारम्भिक

1–**संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ**–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालयसेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तों) की नियमावली,.1976 कहलायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2–**परिभाषायें**–जब तक कि प्रसंग में अन्यथा अपेक्षित न हो, इन नियमों में,–

(1) 'नियुक्ति प्राधिकारी' का तात्पर्य नियम 30 के अधीन तदर्थ प्राधिकृत अधिकारी से है;

(2) 'सभा' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विधान सभा से है;

(3) 'सभापति' का तात्पर्य परिषद् के सभापति से है और इसमें संविधान के अनुच्छेद 184 के खण्ड (1) के अधीन सभापति के कर्तव्यों का पालन करने वाले उप सभापति भी शामिल हैं;*

(4) 'आयोग' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से है;

(5) 'प्रतियोगिता परीक्षा' का तात्पर्य सेवा में सम्मिलित किसी पद के लिये आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा से है और उसके अन्तर्गत ऐसे पदों और राज्य सरकार के सचिवालय में समकक्ष पदों के लिये आयोग द्वारा आयोजित सम्मिलित प्रतियोगिता परीक्षा भी है;

(6) 'परिषद्' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से है,

(7) 'सीधी भर्ती' (डाइरेक्ट रिक्रूटमेन्ट) का तात्पर्य–

(क) पदोन्नति, अथवा

(ख) राज्य की अन्य सेवाओं में से प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण, के अतिरिक्त भर्ती से है,

(8) 'विधान मण्डल' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विधान मण्डल से है,

(9) 'सेवा के सदस्य' का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो इन नियमों अथवा इन नियमों के पूर्व लागू नियम अथवा आदेशों के अन्तर्गत सेवा के किसी संवर्ग के किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किया गया हो और ऐसे पद को धारण कर रहा हो,

(10) 'सचिवालय' का तात्पर्य परिषद् सचिवालय से है,

(11) 'प्रमुख सचिव' का तात्पर्य परिषद् के प्रमुख सचिव से है,

(12) 'सेवा' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय सेवा से है,

(13) 'अध्यक्ष' का तात्पर्य सभा के अध्यक्ष से है।

---

* उत्तर प्रदेश संसदीय कार्य अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या–3679/ सं/17–1–82–111–सं–82, दि0 26 अगस्त, 1982 द्वारा संशोधित/बढ़ाया गया।

भाग–2

गठन एवं संवर्ग

3–सचिवालय का गठन तथा उसके विभिन्न संवंगों की पद संख्या–(1) सभापति के अधीक्षण एवं नियंत्रण के अधीन परिषद् का एक पृथक सचिवालय होगा।

(2) सेवा में प्रत्येक प्रकार के पदों की संख्या वह होगी जो सभापति द्वारा नियम–50 के अधीन रहते हुए समय–समय पर निश्चित की जाय।

(3) सेवा में प्रत्येक प्रकार के स्थायी पदों की संख्या, जब तक कि उप नियम (2) के अन्तर्गत अन्यथा निश्चित न की जाय, वह होगी, जो अनुसूची 1 में दी हुई है :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी व्यक्ति को बिना प्रतिकर का हकदार बनाये हुए नियुक्ति प्राधिकारी किसी पद को रिक्त अथवा आस्थगित रख सकता है।

(4) नियम–50 के अधीन रहते हुए सभापति ऐसे स्थायी तथा अस्थायी पदों का समय–समय पर सृजन कर सकते हैं जो आवश्यक समझे जायें।

4–सभा और परिषद् सचिवालयों के लिये सम्मिलित पदों का सृजन, नियुक्ति तथा सेवा की शर्तें–

(1) राज्यपाल, अध्यक्ष तथा सभापति के परामर्श से, विधान मण्डल के दोनों सदनों के लिये सम्मिलित पद अथवा पदों का सृजन कर सकेंगे।

(2) उप नियम (1) के अधीन सृजित पदों पर राज्यपाल, अध्यक्ष तथा सभापति के परामर्श से, नियुक्ति कर सकेंगे ।

(3) उप नियम (1) के अधीन सृजित पदों पर भर्ती की, तथा नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियमन राज्यपाल द्वारा अध्यक्ष एवं सभापति के परामर्श से, समय–समय पर दिये गये आदेशों के अधीन होगा।

5–वर्गीकरण–अनुसूची–1 में उल्लिखित विभिन्न संवर्गों के पदों का वर्गीकरण राज्य सरकार के अधीन पदों पर तत्समय प्रयुक्त राज्य सरकार द्वारा बनाये गये या जारी किये गये नियमों या आदेशों के अनुसारहोगा।

भाग–3

भर्ती

6–भर्ती की रीति तथा स्रोत सेवा में सम्मिलित पदों पर भर्ती की रीति तथा उसका स्रोत निम्नलिखित होगाः–

(1) ***प्रमुख सचिव**–आयोग के माध्यम से चयन करके सीधी भर्ती द्वारा।

(2) **मार्शल**–आयोग के माध्यम से चयन करके सीधी भर्ती द्वारा।

(3)**समिति अधिकारी**–आयोग के परामर्श से योग्यता के आधार पर चयन के सिद्धान्त के अनुसार सचिवालय के ऐसे व्यक्तियों से जो सचिवालय में अनुभाग अधिकारी का पद मौलिक रूप से धारण करते हों और जिनकी उस पद पर कम से कम 5 वर्ष की लगातार सेवा हो, जिसमें अस्थायी या स्थानापन्न रूप में की गई सेवा भी सम्मिलित है, पदोन्नति द्वारा, अथवा यदि ऐसे अधिकारी उपलब्ध न हो या उपयुक्त न पाये जाये, तो सभा सचिवालय अथवा राज्य सचिवालय के ऐसे व्यक्तियों में से जो मौलिक रूप से ऐसा पद धारण करते हों जो अनुभाग अधिकारी से निम्न स्तर का न हो, और जिनकी उस पद पर कम से कम 5 वर्ष तक लगातार सेवा हो, जिसमें अस्थायी या स्थानापन्न रूप में की गई सेवा भी सम्मिलित हो, नियुक्ति द्वारा।

(4) **अनुभाग अधिकारी**–आयोग के परामर्श से योग्यता केआधार पर चयन के सिद्धान्त के अनुसार सचिवालय के ऐसे व्यक्तियों में से जो कम से कम 10 वर्ष तक मौलिक रूप से प्रवर वर्ग सहायक की पद धारण किये हो, में से पदोन्नति द्वारा।

---

* उत्तर प्रदेश संसदीय कार्य अनु0–1 की अधिसूचना संख्या–1354/सत्रह–सं–1–2003–38 सं/2003, दिनांक 4 अगस्त, 2003 द्वारा संशोधित।

(5) **निजी सचिव (प्रवरण श्रेणी)**–आयोग के परामर्श से योग्यता के आधार पर चयन के सिद्धान्त के अनुसार ऐसे व्यक्तियों में से जो सचिवालय में निजी सचिव (ग्रेड–2) का पद मौलिक रूप से धारण करते हों।

(6) **निजी सचिव (ग्रेड–2)**–आयोग के परामर्श से योग्यता के आधार पर चयन के सिद्धान्त सचिवालय में कम से कम 10 वर्ष की सेवा के स्थायी वैयक्तिक सहायकों में से पदोन्नति द्वारा।

(7) **मुख्य प्रतिवेद**–आयोग के परामर्श से योग्यता के आधार पर चयन के सिद्धान्त के अनुसार ऐसे व्यक्तियों में से, जो सचिवालय में मौलिक रूप से उप मुख्य प्रतिवेदक, यदि कोई हो, अथवा कम से कम 5 वर्ष तक मौलिक रूप से वृत्त लेखक प्रवरण श्रेणी, का पद धारण करते हों, पदोन्नति द्वारा।

(8) **उप मुख्य प्रतिवेदक**–आयोग के परामर्श से योग्यता के आधार पर चयन के सिद्धान्त के अनुसार ऐसे व्यक्तियों में से, जो सचिवालय में मौलिक रूप से,

(क) कम से कम पांच वर्ष तक स्थायी प्रतिवेदक का पद धारण कर चुके हों, या

(ख) वृत्त लेखक प्रवरण श्रेणी का पद धारण करते हों, पदोन्नति द्वारा ।

(9) **वृत्त लेखक प्रवरण श्रेणी**–आयोग के परामर्श से अनुपयुक्त को अस्वीकृत करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर चयन के सिद्धान्त के अनुसार सचिवालय में कम से कम 5 वर्ष की सेवा के स्थायी वृत्त लेखकों में से पदोन्नति द्वारा।

(10) **लेखाकार एवं कोषाध्यक्ष**–अनुपयुक्त को अस्वीकृत करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर स्थायी अवर वर्ग सहायकों में से पदोन्नति द्वारा।

(11) वृत्त लेखक (12) प्रवर वर्ग सहायक (13) वैयक्तिक सहायक (14) अवर वर्ग सहायक	आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा से सीधी भर्ती द्वारा।
(15) टंकक (16) ड्राइवर	बिना आयोग के परामर्श से सीधी भर्ती द्वारा।
(17) दफ्तरी (18) जमादार	बिनाआयोग के परामर्श से अनुपयुक्त को अस्वीकृत करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर चपरासी तथा फर्राश में से पदोन्नति द्वारा।
(19) चपरासी (20) फर्राश (21) सफाई मजदूर	सीधी भर्ती द्वारा।

7–**अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों आदि के लिये आरक्षण**–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों अथवा अन्य वर्गों के लिये आरक्षण, सरकार के ऐसे सामान्य आदेशों के अनुसार होगा, जो भर्ती के समय प्रवृत्त हों।

8–**राष्ट्रीयता**–सचिवालय के अधीन किसी पद या सेवा में भर्ती होने के लिये आवश्यक है कि अभ्यर्थी,–

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) ऐसा तिब्बती शरणार्थी हो जो 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से आया हो; या

(ग) वह मूलतः भारतीय निवासी का वंशज हो और पाकिस्तान, वर्मा, लंका तथा पूर्वी अफ्रीका के केन्या, उगाण्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तन्जानियां (जिसका पहले तांगानिका और जंजीवार नाम था) के देशों से भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से आया हो :

प्रतिबन्ध यह है कि उपर्युक्त वर्ग (ख) या (ग) का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि वर्ग (ख) के अभ्यर्थी पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा (इन्टेलिजेंस ब्रांच) उत्तर प्रदेश द्वारा दिया जाने वाला पात्रता का प्रमाण–पत्र भी प्राप्त करना होगा :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त वर्ग (ग) का है तो एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिये पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी नहीं किया जायगा और ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में एक वर्ष के बाद तभी रहने दिया जा सकता है जबकि उसने भारतीय नागरिकता प्राप्त कर ली हो।

टिप्पणी :– ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो लेकिन उसे वह न तो दिया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, आयोग या अन्य भर्ती करने वाले प्राधिकारी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि वह इस आवश्यक प्रमाण–पत्र को प्राप्त कर ले या उसके पक्ष में ऐसा प्रमाण–पत्र जारी कर दिया जाय।

9–आयु सीमा–सचिवालय के विभिन्न संवर्गों के पदों पर सीधी भर्ती के लिये, जिस वर्ष पद विज्ञापित हो, उस वर्ष की जुलाई के प्रथम दिन, अभ्यर्थी निम्नलिखित न्यूनतम आयु से कम अथवा अधिकतम आयु से अधिक का नहीं होगा–

		न्यूनतम	अधिकतम
(1) प्रमुख सचिव	..	35	52
(2) मार्शल	..	30	45
(3) वृत्त लेखक	..	22	35
(4) वैयक्तिक सहायक	..	21	30
(5) प्रवर वर्ग सहायक	..	21	27
(6) अवर वर्ग सहायक	..	21	27
(7) टंकक	..	18	27
(8) मोटर ड्राइवर	..	18	40
(9) वर्ग 4 के अन्य कर्मचारी	..	18	30

प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई अभ्यर्थी अपनी आयु तथा अन्य अर्हताओं के आधार पर नियमों के अन्तर्गत किसी वर्ष परीक्षा अथवा चयन में सम्मिलित होने का अधिकारी हो किन्तु उस वर्ष ऐसी परीक्षा या चयन न हो तो वह अपनी आयु के संबंध में आगामी दूसरी परीक्षा अथवा चयन में सम्मिलित होने का अधिकारी समझा जायेगा :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि सभापति न्यायोचित व्यवहार के हित में अथवा जनहित में आवश्यक समझें तो किसी अभ्यर्थी अथवा अभ्यर्थी वर्ग के पक्ष में अधिकतम आयु सीमा को शिथिल कर सकते हैं :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह भी है कि जिन पदों पर भर्ती आयोग के माध्यम से होनी है उनके संबंध में नियम शिथिल करने से पूर्व आयोग से परामर्श किया जायेगा ।

टिप्पणी–अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन–जातियों के अभ्यर्थियों की आयु सीमा निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से पांच वर्ष अधिक होगी।

10–शैक्षिक तथा अन्य अर्हतायें–निम्नलिखित पदों पर भर्ती के लिये अभ्यर्थियों को उनके सामने उल्लिखित शैक्षिक तथा अन्य न्यूनतम आवश्यक अर्हतायें होंगी :

(1) प्रमुख सचिव–भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की विधि के स्नातक की उपाधि, एडवोकेट या प्लीडर के नाते जुडीशियल सर्विस में सेवा का अथवा संसद या किसी राज्य के विधान मण्डल के सचिवालय या केन्द्रीय या किसी राज्य सरकार के विधि विभाग में कार्य करने का कम से कम 10 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव/संसदीय कार्य एवं विधायी प्रक्रिया का व्यवहारिक अनुभव प्राप्त व्यक्ति को वरीयता दी जायेगी।

(2) मार्शल–भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय के स्नातक की उपाधि। इसके अतिरिक्त किसी पुलिस, प्रांतीय रक्षक दल, होम गार्ड, प्रादेशिक सेना, पी०ए०सी० एन०सी०सी०, जल–थल अथवा वायु सेना का गजटेड या रिलीज्ड कमीशन्ड आफिसर अथवा किसी विधान मंडल के मार्शल के पद पर सेवा का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव।

(3) समिति अधिकारी–ऐसे व्यक्तियों को वरीयता दी जायेगी जो विधि के स्नातक हों और जिन्हें विधायी प्रक्रिया एवं संसदीय कार्य का अनुभव हो।

(4) प्रवर वर्ग सहायक–भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक की उपाधि।

(5) वृत्त लेखक–उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश (बोर्ड आफ हाई स्कूल एण्ड इन्टर मीडिएट एजूकेशन, उत्तर प्रदेश) की इन्टरमीडिएट परीक्षा तथा हिन्दी आशुलिपि में 140 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी आशुलिपि में 120 शब्द प्रति मिनट की गति।

(6) वैयक्तिक सहायक–उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश की इन्टरमीडिएट परीक्षा तथा हिन्दी आशुलिपि में 120 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी आशुलिपि में 100 शब्द प्रति मिनट कीगति।

(7) अवर वर्ग सहायक–भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक की उपाधि :

प्रतिबंध यह है कि कम से कम हाई स्कूल उत्तीर्ण तथा इन नियमों के लागू होने के दिनांक के पूर्व से सचिवालय में अस्थायी अवर वर्ग सहायक के पद पर कार्य करने वाले व्यक्ति को अवर वर्ग सहायक के पद के लिये विभागीय अभ्यर्थी के रूप में शैक्षिक दृष्टि से योग्य पात्र समझा जायगा, यदि वह इस पद के लिये अन्यथा योग्य पात्र हो।

(8) टंकक–माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश की इन्टरमीडिएट परीक्षा अथवा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा तथा हिन्दी व अंग्रेजी में क्रमशः 25 व 20 शब्द प्रति मिनट की टंकण की गति।

(9) ड्राइवर–कार चलाने में दक्षता कार यंत्र का साधारण ज्ञान तथा हिन्दी पढ़ने व लिखने का अच्छा ज्ञान।

टिप्पणी :– इन नियमों के अन्तर्गत विभिन्न पदों के लिये निर्धारित शैक्षिक अर्हताओं में ऐसी शैक्षिक अर्हतायें भी शामिल समझी जायेंगी, जो राज्य सरकार द्वारा उनके समकक्ष घोषित की जायें।

11–**सभापति के निजी सचिव के पद के संबंध में अपवाद**–(1) नियम 6 अथवा नियम 10 किसी बात को होते हुये भी सभापति,–

(क) ऐसे व्यक्तियों में से जो सचिवालय में मौलिक रूप से निजी सचिव (ग्रेड–2) का अथवा कम से कम 10 वर्ष तक वैयक्तिक सहायक का पद धारण करते हों, किसी व्यक्ति को बिना आयोग के परामर्श के चयन द्वारा अपना निजी सचिव नियुक्त कर सकते हैं, अथवा

(ख) प्रशासकीय कारणों से और विशेष परिस्थितियों में :–

(1) किसी व्यक्ति को सचिवालय के अन्य समकक्ष संवर्ग से अपने निजी सचिव के पद पर, या

(2) अपने निजी सचिव को सचिवालय में अन्य समकक्ष संवर्ग के पद पर स्थानान्तरित कर सकते हैं।

(2) उप नियम (1) के अधीन नियुक्ति या स्थानान्तरण केवल अस्थायी या स्थानापन्न रूप में होगी और सभापति के निजी सचिव का पद सभापति के प्रसाद पर्यन्त धारण किया जायेगा। कोई व्यक्ति केवल ऐसी ही नियुक्ति या स्थानान्तरण के कारण अपने मूल संवर्ग से भिन्न संवर्ग में स्थायी नियुक्ति या मूल संवर्ग से भिन्न संवर्ग के लिये उपलब्ध उच्चतर पदों पर प्रोन्नति के लिये अथवा स्वयं अपने मूल संवर्गों में जब तक कि अन्यथा पात्र न हो, स्थायी नियुक्ति या प्रोन्नति के लिये हकदार नहीं हो सकेगा।

(3) नियम 32, 33, 34 और 35 की कोई बात उप नियम (1) के अधीन नियुक्त या स्थानान्तरित सभापति के निजी सचिव के पद पर लागू नहीं होगी और सभापति किसी समय उक्त पद पर स्थानापन्न किसी व्यक्ति को उसके मौलिक पद पर प्रत्यावर्तित कर सकते हैं।

12–**चरित्र**–सचिवालय में सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जो सार्वजनिक सेवा के लिये उपयुक्त हो। वह विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के मुख्य शिक्षा प्राधिकारी अथवा विद्यालय के प्रधानाध्यापक, जहां उसने अपनी अंतिम शिक्षा ग्रहण की हो तथा दायित्वपूर्ण व्यक्तियों (संबंधी नहीं), जो उसके वैयक्तिक जीवन से भली प्रकार परिचित हों किन्तु विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा विद्यालय से असम्बद्ध हो, से अपने उत्तम चरित्र के प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगा। किन्तु नियुक्ति प्राधिकारी भी उसके चरित्र तथा पूर्ववृत्त के संबंध में अग्रेतर जानकारी प्राप्त करेगा।

टिप्पणी :– (1) ऐसे अभ्यर्थी को जिसने हाई स्कूल परीक्षा नहीं उत्तीर्ण की हो और न उसने किसी शिक्षा संस्था में शिक्षा ग्रहण की हो, किन्हीं दो दायित्वपूर्ण व्यक्तियों (संबंधी नहीं) जो उसके वैयक्तिक जीवन से भलीभांति परिचित हों, से अपने उत्तम चरित्र का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

टिप्पणी :– (2) केवल दोष–सिद्धि (कन्विक्शन) उत्तम चरित्र के प्रमाण–पत्र के अस्वीकार करने का कारण नहीं होना चाहिये और यदि वह किसी सदाचार भंग करने (मोरेल टरपीट्यूड) हिंसा के अपराध अथवा किसी विधिवत् स्थापित सरकार को हिंसा द्वारा अपदस्थ करने के उद्देश्य वाले किसी आन्दोलन से सम्बद्ध नहीं है, तो केवल दोष सिद्धि को अनर्हता (डिसक्वालिफिकेशन) नहीं समझा जाना चाहिये।

टिप्पणी :– (3) संघीय सरकार, किसी राज्य सरकार, अर्द्धराजकीय संस्था अथवा निगम द्वारा विमुक्त (डिसमिस्ड) अभ्यर्थी पात्र नहीं समझा जायेगा।

13–**शारीरिक उपयुक्तता**–(1) किसी व्यक्ति को सेवा के सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किया जायगा जब तक वह शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ न हो और ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जो उसके कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधक हो।

(2) सीधी भर्ती द्वारा चयन किये गये प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये उसकी नियुक्ति की अंतिम स्वीकृति से पूर्व यह आवश्यक होगा कि यदि वह पहले से ही सचिवालय या सरकार की सेवा में न हो तो वह फाइनेन्शियल हैण्डबुक, वाल्यूम 2 पार्ट 2 से 4 के चौप्टर 3 के फंडामेंटल रूल 10 के अधीन रहते हुये–

(क) राजपत्रित पद का अभ्यर्थी होने की दशा में मेडिकल बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत हो, जो उसकी नियुक्ति के लिये शारीरिक दृष्टि से उपयुक्त या अनुपयुक्त होने का प्रमाण–पत्र देगा, और

(ख) अन्य पदों पर नियुक्ति का अभ्यर्थी होने की दशा में यथास्थिति मुख्य चिकित्सा अधिकारी या अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी का उनके द्वारा हस्ताक्षरित नियुक्ति के लिये शारीरिक दृष्टि से उपयुक्त होने का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगा।

14–**वैवाहिक स्थिति**–कोई पुरुष जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हों, अथवा कोई स्त्री जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहिले से ही जीवित पत्नी हो किसी सेवा में अथवा पद पर नियुक्ति के पात्र न होंगे। यदि राज्यपाल का यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण है तो वे सभापति के परामर्श से किसी व्यक्ति को उपर्युक्त नियम के प्रवर्तन से मुक्त कर सकते हैं।

15–**मतार्चना (कनवेंसिंग)**–इस नियमावली के अधीन अपेक्षित संस्तुतियों के अतिरिक्त भर्ती के लिये की गयी किसी भी लिखित या मौखिक संस्तुति पर विचार नहीं किया जायेगा। यदि कोई अभ्यर्थी अपनी उम्मीदवारी के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य साधनों द्वारा अपने पक्ष में समर्थन प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा तो वह अनर्ह कर दिया जायेगा।

भाग–4

भर्ती की प्रक्रिया

(क) सीधी भर्ती

16–**रिक्त पदों की संख्या**–नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती किये जाने वाले वर्ष में सचिव, मार्शल, वृत्त लेखक, प्रवर वर्ग सहायक, वैयक्तिक सहायक या अवर वर्ग सहायक जैसी भी स्थिति हो के रिक्त अथवा रिक्त होने वाले पदों की संख्या निश्चित करके आयोग को सूचित करेंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी वर्ष में प्रवर वर्ग सहायकों या अवर वर्ग सहायकों के संवर्ग में रिक्त पदों या रिक्त होने वाले पदों की संख्या दो से कम हो तो वह रिक्ति आयोग को सूचित करने के हेतु अनुवर्ती वर्ष में अग्रेनीत की जायेगी।

17—**वृत्त लेखक के रिक्त पदों में आरक्षण**—(1) नियुक्ति प्राधिकारी के निर्णय के अनुसार प्रत्येक वर्ष वृत्त लेखक के रिक्त पदों की कुल संख्या के एक तिहाई से अनधिक रिक्त पद उस वर्ष उन व्यक्तियों के लिये आरक्षित होंगे, जिनकी आयोग द्वारा आवेदन—पत्र प्रस्तुत करने के लिये नियम दिनांक को न्यूनतम एक वर्ष की अस्थायी सेवा उक्त पर हो गयी हो तथा जिनका कार्य संतोषजनक प्रमाणित किया जाय :

प्रतिबन्ध यह है कि उनकी आयु भर्ती किये जाने वाले वर्ष की जुलाई के प्रथम दिन 40 वर्ष से अनधिक हो।

(2) ऐसे आरक्षित रिक्त पदों की पूर्ति आयोग द्वारा नियम– 6(11) के अन्तर्गत आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के फल के आधार पर की जायेगी, यदि अभ्यर्थी उस स्तर तक के हों जो आयोग उपयुक्त समझे।

18—**वैयक्तिक सहायक के रिक्त पदों में आरक्षण**—(1) नियुक्ति प्राधिकारी के निर्णय के अनुसार प्रत्येक वर्ष वैयक्तिक सहायक के रिक्त पदों की कुल संख्या के एक तिहाई से अनधिक रिक्त पद उस वर्ष उन व्यक्तियों के लिये आरक्षित होंगे, जिनकी आयोग द्वारा आवेदन—पत्र प्रस्तुत करने के लिये नियत दिनांक को न्यूनतम एक वर्ष की अस्थायी सेवा उक्त पद पर हो तथा जिनका कार्य संतोषजनक प्रमाणित किया जाय :

प्रतिबन्ध यह है कि उनकी आयु भर्ती किये जाने वाले वर्ष की जुलाई के प्रथम दिन 35 वर्ष से अनधिक हो।

(2) ऐसे आरक्षित रिक्त पदों की पूर्ति आयोग द्वारा नियम–6(13) के अन्तर्गत आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर की जायेगी, यदि अभ्यर्थी उक्त स्तर तक के हो जो आयोग उपयुक्त समझें।

19—**अवर वर्ग सहायक के रिक्त पदों में आरक्षण**—(1) जहां रिक्तियों की कुल संख्या किसी वर्ष में एक से अधिक हो, वहां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्णीत ऐसी संख्या जो रिक्तियों की कुल संख्या के आधे से अनधिक हो, और जहां रिक्ति की संख्या केवल एक हो, वहां ऐसी रिक्ति सचिवालय के ऐसे स्थायी अवर वर्ग सहायकों तथा लेखाकार एवं कोषाध्यक्षों तथा इन पदों पर स्थायी नियुक्ति के लिये नियमों के अनुसार अनुमोदित ऐसे अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित होंगे, जो परीक्षा वर्ष की पहली जुलाई को सचिवालय में अस्थायी या स्थानापन्न सेवा को सम्मिलित करके न्यूनतम तीन वर्ष की लगातार सेवा अवधि पूरी कर चुके हों और जिनका कार्य संतोषजनक प्रमाणित किया जाय।

(2) ऐसे आरक्षित रिक्त पदों की पूर्ति नियम 6(12) के अधीन आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा फल के आधार पर की जायेगी यदि अभ्यर्थी उस स्तर तक के हों जो आयोग उपयुक्त समझे।

(3) उप नियम (2) के अधीन चयन किये हुए व्यक्तियों तथा नियम 6(12) के अन्तर्गत आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में सीधी भर्ती के लिये चयन किये गये अभ्यर्थियों की योग्यता के क्रम में पृथक सूचियां बनायी जायेंगी तथा उनमें परस्पर ज्येष्ठता निर्धारित करने के लिये दोनों सूचियों को इस प्रकार आपस में मिलाया जायेगा कि प्रथम स्थान पर आरक्षित पदों के लिये चयन किये गये विभागीय अभ्यर्थियों में प्रथम व्यक्ति होगा और उसके बाद द्वितीय स्थान पर सीधी भर्ती के लिये चयन किये गये अभ्यर्थियों में का प्रथम व्यक्ति होगा। इसी क्रम से दोनों सूचियों को सम्मिलित करके एक ज्येष्ठता सूची तैयार की जायेगी।

20—**अवर वर्ग सहायक के रिक्त पदों में आरक्षण**—(1) नियुक्ति प्राधिकारी के निर्णय के अनुसार प्रत्येक वर्ष अवर वर्ग सहायक के रिक्त पदों की कुल संख्या के आधे से अनधिक रिक्त पद उस वर्ष उन व्यक्तियों के लिये आरक्षित होंगे जिनकी आयोग द्वारा आवेदन—पत्र प्रस्तुत करने के लिये नियत दिनांक को न्यूनतम तीन वर्ष की अस्थायी सेवा उक्त पद पर हो तथा जिनका कार्य संतोषजनक प्रमाणित किया जाय :

प्रतिबन्ध यह है कि उनकी आयु भर्ती किये जाने वाले वर्ष की जुलाई के प्रथम दिन 35 वर्ष से अनधिक हो।

(2) ऐसे आरक्षित रिक्त पदों की पूर्ति आयोग द्वारा नियम 6(14) के अन्तर्गत आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के फल के आधार पर की जायेगी, यदि अभ्यर्थी उस स्तर तक के हों जो आयोग उपयुक्त समझे।

21—**चयन द्वारा सीधी भर्ती**—(1) सचिव या मार्शल के पद के रिक्त होने पर यथाशीघ्र नियुक्ति प्राधिकारी आयोग को रिक्त पदों की सूचना देगा तथा आयोग से आवश्यक विज्ञापन द्वारा आवेदन—पत्र आमंत्रित कर उपयुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों का चयन करने को कहेगा।

(2) आयोग, पद विशेष के लिये नियत अर्हताओं के अनुसार, प्रथम दृष्ट्या पात्र अभ्यर्थियों का साक्षात्कार के लिये बुलायेगा।

(3) ऐसे साक्षात्कार के समय आयोग की सहायता के लिये सभापति द्वारा नाम–निर्देशित सचिवालय या सभा सचिवालय का अथवा संसद या किसी अन्य राज्य के विधान मण्डल के सदन के सचिवालय का या राज्य सरकार का कोई अधिकारी भी उपस्थित रहेगा।

(4) साक्षात्कार के पश्चात् आयोग यथाशीघ्र नियुक्ति प्राधिकारी के पास योग्यता के आधार पर चयन किये गये उतने नामों की सूची भेजेगा जो रिक्त पदों की संख्या के दूने हों।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसी सूची में से क्रमानुसार अभ्यर्थियों का चयन करेगा यदि वह संतुष्ट हो कि वे अन्य दृष्टियों से भी अर्ह हैं ।

22–**परीक्षा**–(1) आयोग, सभापति के परामर्श से, इन नियमों के अन्तर्गत सीधी भर्ती के लिये आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के पाठ्यक्रम एवं नियम बनायेगा।

(2) जब तक कि आयोग द्वारा प्रदत्त प्रवेश पत्र नहीं होगा कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा में प्रवेश नहीं प्राप्त कर सकेगा।

23–**परीक्षाफलों के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन**–(1) आयोग प्रतियोगिता परीक्षाओं के प्रत्येक अभ्यर्थी को दिये गये सम्पूर्ण अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों की एक योग्यता सूची तैयार करेगा और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेगा। यदि कुछ अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंक एक समान हों तो आयोग ऐसे अभ्यर्थियों के मामलों की स्वयं परीक्षा करेगा और उनके नाम, उनकी आयु, उनके द्वारा विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों तथा परीक्षा के विषयों की पारस्परिक महत्ता का यथोचित ध्यान रखते हुए योग्यता के आधार पर व्यवस्थित करेगा। नियुक्ति प्राधिकारी ऐसी योग्यता सूची में से क्रमानुसार अभ्यर्थियों का चयन करेगा, यदि वह संतुष्ट हो कि वे अन्य दृष्टियों से भी अर्ह हैं।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी किसी अभ्यर्थी की राष्ट्रीयता, आयु, चरित्र तथा आचरण से सम्बद्ध अर्हताओं के लिये ऐसी जांच कर सकेगा जिसे आवश्यक समझे और यदि उसके मत में ऐसी जांच के परिणाम उनमें से किसी के सम्बन्ध में असन्तोषजनक है, तो ऐसे अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित कर देगा। यदि इस प्रकार कोई अभ्यर्थी अनर्ह हो जाता है तो नियुक्ति प्राधिकारी यह निश्चय करेगा कि प्रवीणता सूची में उसके बाद का निकटतम दूसरा अभ्यर्थी, जो अन्यथा अर्ह हो का चयन किया जाय अथवा नहीं।

24–**शुल्क**–प्रत्येक अभ्यर्थी आवेदन–पत्र, साक्षात्कार अथवा परीक्षा के लिये ऐसा शुल्क आयोग को देगा जो समय–समय पर राज्यपाल द्वारा आयोग के परामर्श से नियत किया जाय। साधारणतया इन शुल्कों को वापस करने का कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा, और न ही भविष्य में होने वाली किसी परीक्षा अथवा चयन के लिये ऐसा शुल्क जमा किया जायेगा।

25–**आवेदन पत्र**–इन नियमों के अन्तर्गत प्रतियोगिता परीक्षाओं अथवा चयन द्वारा आयोग के परामर्श से भर्ती के लिये प्रत्येक आवेदन–पत्र आयोग द्वारा नियत प्रपत्र में भेजना होगा जो आयोग के सचिव से प्राप्त किया जा सकेगा।

26–**विभिन्न लघु पदों के अभ्यर्थियों का सीधी भर्ती के लिये चयन**–टंकक, मोटरकार ड्राइवर तथा निम्न वर्गीय सेवा का विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिये चयन उन व्यक्तियों में से किया जायगा जो ऐसे पदों पर नियुक्त के लिये आवेदन करे तथा नियुक्ति प्राधिकारी जिन्हें योग्यतम समझें।

ख–पदोन्नति

27–**समिति अधिकारी, अनुभाग अधिकारी आदि के पद पर भर्ती की प्रक्रिया**–(1) नियुक्ति प्राधिकारी यथास्थिति समिति अधिकारी, अनुभाग अधिकारी निजी सचिव (प्रवरण श्रेणी), निजी सचिव (ग्रेड–2) मुख्य प्रतिवेदक या उप मुख्य प्रतिवेदक के पद के लिये नियम–6 तथा 10 के अधीन पात्र अभ्यर्थियों में से ज्येष्ठतम पात्र अभ्यर्थियों की एक सूची जो पात्रता सूची कही जायेगी तैयार करेगा, जिसमें, यथासम्भव, निम्नलिखित अनुपात में नाम दिये जायेंगे :

1 से 5 रिक्तियों के लिये	....	रिक्तियों की संख्या का पांच गुना किन्तु कम से कम 15;
6 से 12 रिक्तियों के लिये	....	रिक्तियों की संख्या का चार गुना किन्तु कम से कम 25;
12 रिक्तियों से अधिक के लिये	....	रिक्तियों की संख्या का 3 गुना किन्तु कम से कम 50 :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि भर्ती ऐसी रिक्तियों के लिये, जो भर्ती के एक वर्ष से अधिक अवधि के दौरान हुई हो, की जानी हो तो प्रत्येक ऐसे वर्ष के संबंध में पृथक पात्रता सूची तैयार की जायगी । उस दशा में भर्ती के द्वितीय तथा अनुवर्ती वर्षों के लिये पात्रता सूची तैयार करते समय पात्रता सूची में सम्मिलित किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या इस प्रकार रखी जायेगी :–

(क) **द्वितीय वर्ष के निमित्त**–उक्त अनुपात के अनुसार संख्या और प्रथम वर्ष के निमित्त रिक्तियों की संख्या का योग।

(ख) **तृतीय वर्ष के निमित्त**–उक्त अनुपात के अनुसार संख्या और प्रथम तथा द्वितीय वर्ष के निमित्त रिक्तियों की संख्या का योगय और इसी प्रकार आगे भी रू अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि जिन अभ्यर्थियों को प्रथम दृष्टया पदोन्नति के लिये उपयुक्त न समझा जाय, उनकी गणना उक्त अनुपात के निमित्त नहीं की जायेगी और उनके नाम के सामने उनके सम्बन्ध में इस प्रकार विचार न किये जाने के आशय की एक टिप्पणी लिख दी जायगी।

स्पष्टीकरण–1–"रिक्तियों की संख्या" का तात्पर्य ऐसी मौलिक, अस्थायी या स्थानापन्न रिक्तियों की कुल संख्या से है जो सूची 'ख' के अभ्यर्थियों के मौलिक रिक्तियों के प्रति संविलीन किये जाने की संभावना पर विचार करने के पश्चात् भर्ती के वर्ष में हुई हो।

स्पष्टीकरण–2–सभी प्रकार की रिक्तियों को समाविष्ट करने के लिये पात्रता की एक एकल सूची तैयार की जायेगी।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी पात्रता की सीमा में आने वाले समस्त व्यक्तियों की पदक्रम सूची तथा पात्रता की सूची या सूचियां और उसमें या उनमें सम्मिलित अभ्यर्थियों की चरित्र पंजियां आयोग को प्रेषित करेगा और उसे विभिन्न प्रकार की रिक्तियों की संख्या भी सूचित करेगा जिन पर सूची या सूचियां तैयार करने के प्रयोजन से विचार किया गया हो।

(3) यदि किसी मामले में आयोग को यह प्रतीत हो कि उप नियम (2) के अधीन उसे प्राप्त सूची या सूचियों में सम्मिलित नामों में से अपेक्षित संख्या में उपयुक्त अभ्यर्थी प्राप्त न हो सकेंगे तो वह नियुक्ति प्राधिकारी से उतनी अधिक संख्या में ज्येष्ठता अथवा सभी पात्र अभ्यर्थियों के नाम और चरित्र पंजियां उसमें सम्मिलित करने के लिये कह सकता है जिन्हें वह उचित समझे, और नियुक्ति प्राधिकारी तद्नुसार उप नियम (1) में दी हुई किसी बात के होते हुए भी, उक्त सूची या सूचियों को पुनरीक्षित करेगा।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एक चयन समिति संघटित की जायेगी जिसमें निम्नलिखित होंगे :–

(क) आयोग का अध्यक्ष या उनके द्वारा नामांकित अन्य सदस्य, जो समिति का अध्यक्ष होगा।

(ख) प्रमुख सचिव, विधान सभा तथा

(ग) प्रमुख सचिव, विधान परिषद्।

(5) (क) नियुक्ति प्राधिकारी आयोग के परामर्श से चयन के लिये कोई दिनांक निश्चित करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि चयन कार्य एक या उससे अधिक दिनों तक किया जा सकता है।

(ख) यदि आयोग या नियुक्ति प्राधिकारी यह आवश्यक समझे कि पात्रता की सूची या सूचियों में समाविष्ट समस्त या किसी भी अभ्यर्थी का साक्षात्कार चयन समिति द्वारा किया जाना चाहिये तो नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति ऐसे अभ्यर्थियों या अभ्यर्थी को उक्त प्रयोजन के लिये उपर्युक्त दिनांक या दिनांकों पर बुलायेगा।

(ग) चयन समिति प्रत्येक मामले में अभ्यर्थियों की चरित्र पंजियों पर विचार करेगी और किसी अन्य बात पर भी विचार कर सकती है, जो उसकी राय में संगत हो।

(6) (क) चयन समिति योग्यता के अनुसार निम्नलिखित रूप से दो सूचियां तैयार करेगी, अर्थात् :–

(1) सूची क–जिसमें उप नियम (2) के अधीन आयोग को सूचित की गई स्थाई रिक्तियों के प्र मौलिक रूप से नियुक्ति किये जाने के लिये सिफारिश किये गये अभ्यर्थियों के नाम होंगे।

(2) सूची–ख–जिसमें उप नयम (2) के अधीन आयोग को सूचित की गई अस्थाई या स्थान नियुक्तियों के लिये सिफारिश किये गये अभ्यर्थियों के नाम तथा ऐसे अभ्यर्थियों के नाम, यदि हों, होंगे जो उप नियम (9) के खण्ड (ख) के अनुसार किसी विचाराधीन सूची–ख पर ए करने पर अग्रेनीत हो :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि भर्ती ऐसी रिक्तियों के लिये जो भर्ती के एक वर्ष से अधिक अवधि के दौरान हुई हो, की जाय तो प्रत्येक ऐसे वर्ष के सम्बन्ध में चयन उस वर्ष के लिये तैयार की गई पात्रता सूची से किया जायगा। ऐसी दशा में, किसी वर्ष की रिक्तियों के प्रति चुने गये अभ्यर्थियों के नाम उससे बाद के वर्ष या वर्षों की पात्रता सूची या सूचियों में से, द्वितीय और अनुवर्ती वर्षों की पात्रता सूचियों से चयन करने के पूर्व निकाल दिये जायेंगे।

(ख) खण्ड (क) में किसी बात होते हुए भी उस दशा में सूची (क) को तैयार करने की आवश्यकता नहीं है जब स्थाई रिक्तियों की संख्या सूची 'ख' से स्थाई रिक्तियों में लिये जाने वाले शेष अभ्यर्थियों की संख्या से अधिक न हो।

(7) आयोग–चयन समिति की सिफारिशों पर विचार करेगा और तत्पश्चात् अनुमोदित सूची 'क' तथा 'ख' की नियुक्ति प्राधिकारी को भेजेगा।

(8) उप नियम(9) के खण्ड (क) के उपबन्धों तथा खण्ड (ख) के अधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी ज्येष्ठता क्रम से सूची 'क' तथा 'ख' में से प्रत्येक को फिर से क्रमबद्ध करेगा।

(9) (क) सूची 'क' में समाविष्ट अभ्यर्थियों के नाम, जिनके लिये भर्ती के वर्ष के दौरान स्थायी रिक्तियां उपलब्ध नहीं हो सकती, वर्ष के अन्त में सूची 'ख' में सबसे ऊपर उसी क्रम में स्थानान्तरित कर दिये जायेंगे जिस क्रम में उप नियम(8) के अधीन क्रम–बद्ध सूची 'क' में उनके नाम आये हों।

(ख) सूची 'ख' में समाविष्ट ऐसे अभ्यर्थियों के नामों पर, जिनके लिये वर्ष के दौरान रिक्तियां उपलब्ध नहीं हो सकती, प्रत्येक आगामी चयन के समय पुनर्विचार किया जायेगा और यदि भर्ती के आगामी वर्ष के लिये संघटित चयन समिति का यह विचार हो कि पूर्ववर्ती चयन के उपरान्त किसी अभ्यर्थी का कार्य या आचरण उसे उक्त सूची से हटाने का औचित्य प्रदान कर सकें तो वह उस सूची से उसका नाम हटा सकती है :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे अभ्यर्थी, जिनका चयन सूची 'ख' के लिये पहली बार हुआ अभ्यर्थियों के नीचे रखे जायेंगे जो उस सूची में पहले से ही हों।

(10) (क) सूची 'क' में समाविष्ट अभ्यर्थी स्थायी रिक्तियों के प्रति उसी क्रम में नियुक्त किये जायेंगे जिस क्रम में उप नियम (8) के अधीन फिर से क्रम सूची में उनके नाम आये हों।

(ख) सूची 'क' में समाविष्ट ऐसे अभ्यर्थी जिनके लिये स्थायी रिक्तियां तत्काल उपलब्ध न हों, सूची (ख) में समाविष्ट अभ्यर्थी के अधिमान में अस्थायी या स्थानापन्न रिक्तियों के प्रति उक्त क्रम में, नियुक्त किये जायेंगे।

(11) उप नियम (10) के खण्ड (ख) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सूची 'ख' में समाविष्ट अभ्यर्थी, अस्थायी या स्थानापन्न रिक्तियों के प्रति तथा सूची 'क' के निःशेष हो जाने पर स्थायी रिक्तियों के प्रति भी उसी क्रम में नियुक्त किये जायेंगे जिस क्रम में उप नियम (8) के अधीन फिर से क्रमबद्ध सूची में उनके नाम आये हों :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि नियुक्ति प्राधिकारी को किसी समय यह प्रतीत हो कि अस्थायी या स्थानापन्न रिक्ति के प्रति नियुक्त सेवा के सदस्य ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है अथवा अन्य प्रकार से संतुष्ट करने में असफल रहा है, तो वह उसे बिना कोई कारण दिये, उस पद पर प्रत्यावर्तित कर सकता है, जिस पर से उसकी पदोन्नति हुई थी।

(12) उप नियम (11) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए सूची 'ख' के शेष अभ्यर्थी भर्ती के आगामी वर्ष में सूची 'क' के लिये पहली बार चयन किये गये किसी अभ्यर्थी के अधिमान में नयी मौलिक रिक्तियों के प्रति नियुक्त किये जायेंगे।

28–वृत्त लेखक प्रवरण श्रेणी के पद पर भर्ती की प्रक्रिया–(1) सिवाय उप नियम (3) में की गयी अन्यथा व्यवस्था के नियुक्ति प्राधिकारी ज्येष्ठतम से अभ्यर्थियों को जो नियम–6 के अधीन वृत्त लेखक (प्रवरण श्रेणी) के पद के लिये पात्र हों, एक सूची जो पात्रता सूची कहलायेगी तैयार करेगा और जिसमें, यथासम्भव, निम्नलिखित अनुपात में नाम दिये जायेंगे।

1 से 5 तक रिक्तियों के लिये	....	रिक्तियों की संख्या का दुगना किन्तु कम से कम 5
5 से अधिक रिक्तियों के लिये	....	रिक्तियों की संख्या से डेढ़ गुना किन्तु कम से कम 10

नियम 2 उप नियम (1) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड तथा स्पष्टीकरण आवश्यक परिवर्तन के साथ इस नियम में लागू होंगे।

(2) नियम 27 में नियत शेष प्रक्रिया आवश्यक परिवर्तन के साथ इस नियम के अधीन की गयी पदोन्नति पर लागू होगी, सिवाय इसके कि नियम 27 में अभिदिष्ट सूची 'क' और 'ख' दोनों में से प्रत्येक चयन समिति द्वारा अनुपयुक्त व्यक्तियों को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता क्रम में तैयार की जायगी और उपयुक्त समझे गये अभ्यर्थियों में से ज्येष्ठतम अभ्यर्थी सूची 'क' में रखे जायेंगे।

(3) उप नियम (1) तथा (2) में किसी बात के होते हुये भी यदि किसी दशा में भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या कम हो और नियुक्ति प्राधिकारी का यह विचार हो कि ज्येष्ठतम अभ्यर्थी या अभ्यर्थीगण पदोन्नति के लिये पूर्णतः योग्य है और तद्नुसार कोई अतिक्रमण नहीं होता है तो आयोग यदि वह नियुक्ति प्राधिकारी के विचार से सहमत हों, प्रस्ताव का सीधे अनुमोदन कर सकता है। उस दशा में कोई भी चयन समिति संघटित करने की आवश्यकता नहीं है और इस प्रकार अनुमोदित अभ्यर्थीगण पदोन्नति के लिये यथाविधि चयन किये गये समझे जायेंगे।

29–**दफ्तरी अथवा जमादार के पद पर भर्ती की प्रक्रिया**–दफ्तरी अथवा जमादार के पदों पर भर्ती के लिए सम्बन्धित पद की पात्रता के क्षेत्र में आने वाले सचिवालय के समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों में से अनुपयुक्त को छोड़कर ज्येष्ठता के आधार पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन किया जायेगा।

भाग 5

नियुक्ति, परिवीक्षा तथा स्थायीकरण

30–**नियुक्ति प्राधिकारी**–नियम 3 और 4 के उपबन्धों तथा उनके अन्तर्गत दिये गये राज्यपाल के आदेशों के अधीन रहते हुये सचिवालय में,–

(क) सभी राजपत्रित पदों पर नियुक्ति सभापति द्वारा की जायेगी और–

(ख) अन्य सभी पदों पर नियुक्ति प्रमुख सचिव द्वारा की जायेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि इन नियमों के लागू होने से पूर्व कोई स्थायी नियुक्ति या स्थाई नियुक्ति के प्रयोजन से परिवीक्षा पर नियुक्ति राज्यपाल या सभापति की हो तो इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों के सम्बन्ध में राज्यपाल अथवा यथास्थिति सभापति नियुक्ति प्राधिकारी बने रहेंगे।

31–**प्रमाण–पत्रों आदि का प्रस्तुत किया जाना**–सीधी भर्ती द्वारा चयन किये गये प्रत्येक अभ्यर्थीके लिये उसकी नियुक्ति की अन्तिम स्वीकृति से पूर्व यह आवश्यक होगा कि–

(1) नियम–7 में विहित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगा ; और

(2) वह निम्नलिखित विषय में घोषणा प्रस्तुत करेगा :–

(क) यदि सचिवालय में नियुक्त किसी व्यक्ति से वह संबंधित हो तो उससे अपने संबंध के बारे में ; और

(ख) ऋण से मुक्त होने के संबंध में ;

(ग) अनुसूची–2 में नियत प्रपत्र में अपनी समस्त अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में ;

(घ) शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (1923 का अधिनियम संख्या 19) को पढ़ लेने तथा सचिवालय की पत्रावलियों के विषय को प्रकट करने के विरुद्ध शास्तियों की जानकारी के सम्बन्ध में।

टिप्पणी :– उपर्युक्त घोषणायें अभ्यर्थी की नियुक्ति के पश्चात् उसकी चरित्र पंजिका के साथ रखी जायेंगी।

32–नियुक्ति–नियुक्ति प्राधिकारी चयन किये गये अभ्यर्थियों को इन नियमों के अधीन तदर्थ तैयार की गयी सूची, यदि कोई हो, में दिये हुये क्रम में संबंधित पद पर नियुक्त करेगा।

33–परिवीक्षा–(1) सचिवालय में किसी पद पर मौलिक नियुक्ति के लिये 2 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) परिवीक्षा का काल पदभार ग्रहण करने की तिथि से गिना जायेगा।

(3) संवर्ग के किसी पद पर अथवा किसी उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा नियुक्ति प्राधिकारी के स्व–विवेक में परिवीक्षा अवधि के लिये संगणना में सम्मिलित की जा सकती है।

(4) परिवीक्षा अवधि–सामान्यतः एक वर्ष तक के लिये लिखित पर्याप्त कारणों के आधार पर बढ़ाई जा सकती है। प्रत्येक बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि के आदेश में वह ठीक दिनांक निर्दिष्ट होगा जब तक के लिये वह बढ़ाई गयी हो । विशेष परिस्थितियों में परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक समय तक के लिये भी बढ़ाई जा सकेगी। परन्तु शर्त यह है कि परिवीक्षा अवधि दो वर्ष से अधिक न बढ़ाई जा सकेगी।

34–उन्मुक्ति (Discharge) तथा प्रत्यावर्तन–(1) यदि परिवीक्षा की अवधि में अथवा बढ़ाई हुई अवधि में अथवा अन्त में यह पाया जाता है कि परिवीक्षा में प्रदत्त अवसरों का समुचित उपयोग नहीं किया है अथवा जिस स्तर की उससे अपेक्षा की गयी थी उसकी पूर्ति करने में वह असफल रहा है तो उसे यदि उसका कोई स्थायी पद है तो उस पर प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा, अन्यथा उसकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी।

(2) वह व्यक्ति जिसकी सेवायें परिवीक्षा की अवधि में अथवा अन्त में समाप्त कर दी जायेंगी किसी प्रकार के प्रतिकर का अधिकारी नहीं होगा।

35–स्थायीकरण–प्रत्येक परिवीक्ष, परिवीक्षा की अवधि या बढ़ाई गई अवधि की समाप्ति पर स्थायी कर दिया जायेगा, यदि वह स्थायीकरण के लिये उपयुक्त समझा जाता है और प्रवर वर्ग सहायक अथवा अवर वर्ग सहायक के पद के परिवीक्षा की दशा में, यदि वह कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी टंकन भी कर सकता है।

भाग 6

वेतन

36–वेतन–क्रम और भत्ते–सचिवालय में प्रत्येक संवर्ग के पद का वेतन–क्रम जिसमें अतिरिक्त वेतन अथवा विशेष वेतन सम्मिलित है, निर्वाह व्यय भत्ता तथा अन्य भत्ते वही होंगे जो सरकारी सचिवालय में तत्सम संवर्ग के पद के लिए सरकार द्वारा समय–समय पर नियत किये जाएं। यदि शासकीय सचिवालय में कोई ऐसा पद न हो जैसा कि सचिवालय में हो, तो उस पद के लिये वेतन क्रम जिसमें अतिरिक्त वेतन सम्मिलित है, सभापति द्वारा वित्त विभाग की सहमति से निर्धारित कियाजायेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि जब तक कि वित्त विभाग की सहमति से विधिवत् परिवर्तित न किया जाय, तब तक सचिवालय के विभिन्न संवर्ग के पदों का वर्तमान वेतन–क्रम वही होगा, जो अनुसूची–1 में दिया हुआ है।

37–प्रारम्भिक वेतन (Initial pay)–सचिवालय में किसी पद पर नियुक्त व्यक्ति का प्रारम्भिक वेतन का विनियम समय–समय पर तथा संशोधित यू० पी० फण्डामेन्टल रूल्स के अधीन होगा।

38–वेतन वृद्धि–(1) फण्डामेन्टल रूल्स में किसी विपरीत उपबन्धों के होते हुये भी किसी परिवीक्षी को परिवीक्षा की अवधि में उसके वेतन क्रम में प्रत्येक वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर वेतन वृद्धि इस शर्त के अधीन दी जायेगी कि उसका कार्य तथा आचरण संतोषजनक प्रतिवेदित किया गया हो । यदि सन्तोष देने में असफलता के कारण परिवीक्षा की अवधि बढ़ाई जाती है, तो जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे, ऐसी बढ़ी हुई अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिये नहीं की जायेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि परिवीक्षा की अवधि केवल परिवीक्षी की किसी विभागीय परीक्षा में असफलता के कारण बढ़ाई जाती है तो बढ़ी हुई अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिये नहीं की जायगी, किन्तु बढ़ोत्तरी की ऐसी रोक का प्रभाव उसकी भविष्य की वेतन वृद्धियों को स्थगित करने वाला नहीं होगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति अपनी नियुक्ति के पहिले से ही सरकारी या सभा सचिवालय अथवा सचिवालय की सेवा में स्थायी हो तो उसकी परिवीक्षा की अवधि में वेतन सामान्य नियम–49 में सन्दर्भित सम्बन्धित नियमों के अनुसार नियत किये हों।

(3) वेतन–वृद्धि देने, उसके रोकने तथा उससे संबंधित ऐसे अन्य विषयों के विनियमन के लिये, आवश्यक संशोधनों सहित वही नियम होंगे, जो सरकार ने सरकारी सचिवालय के समकक्ष संवर्ग के पदों के लिये नियम अथवा सामान्य आदेश द्वारा नियत किये हों।

39–**दक्षतावरोध**–सचिवालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के दक्षतावरोध का मानदण्ड वह होगा, जो इस संबंध में विशेषतया सरकारी सचिवालय के समकक्ष संवर्ग के पदों के लिये बनाये गये नियमों तथा सरकारी कर्मचारियों के लिये सरकार द्वारा दिये गये सामान्य आदेशों में निर्धारित हों।

भाग 7

प्रतिनियुक्ति

40–**प्रतिनियुक्ति पर सेवा की शर्तें**–ऐसे निर्बन्धनों के अधीन और ऐसी सीमा तक जो नियुक्ति प्राधिकारी उधारदायी प्राधिकारी तथा वित्त विभाग की सहमति से आदेश द्वारा नियत करें, सचिवालय में प्रतिनियुक्त किसी व्यक्ति को, उसकी सचिवालय में किसी पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि में सेवा की उन्हीं शर्तों के अधीन रहने की अनुज्ञा दी जा सकेगी जिनका वह सचिवालय में अपनी प्रतिनियुक्ति के ठीक पूर्व अधिकारी था।

41–**सचिवालय में प्रतिनियुक्ति किसी व्यक्ति के विरुद्ध अनुशासन सम्बन्धी कार्यवाही**–यदि नियुक्ति प्राधिकारी के मत में सचिवालय में प्रतिनियुक्त किसी व्यक्ति के विरुद्ध अनुशासन सम्बन्धी कार्यवाही करना आवश्यक हो तो उसकी सेवायें उधारदायी प्राधिकारी के अधीन पुनः रख दी जायेंगी और प्रारम्भिक जांच से, यदि हुई हो तो संबद्ध पत्रादि भी उधारदायी प्राधिकारी को भेज दिये जायेंगे ।

भाग–8

शास्तियां और अपील

42–**शास्तियां**–सचिवालय में नियुक्त व्यक्तियों के लिये शास्तियां और उनको प्रयोग में लाने की प्रक्रिया वही होगी जो सरकारी सचिवालय के समकक्ष श्रेणी के पदों पर लागू होती है।

43–**दण्ड देने वाला प्राधिकारी**–संविधान के अनुच्छेद 311 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए सेवा के किसी सदस्य पर शास्ति आरोपित करने की शक्ति उसके नियुक्ति प्राधिकारी में निहित होगी।
44–अपील–सचिवालय में नियुक्त किसी व्यक्ति को जिस पद पर कोई शास्ति आरोपित की गयी हो, शास्ति के ऐसे आदेश के विरुद्ध केवल एक अपील करने का अधिकार होगा और ऐसी अपील यदि शास्ति आरोपित करने वाला नियुक्ति प्राधिकारी–

(क) प्रमुख सचिव हो, तो सभापति को; या

(ख) सभापति हो, तो राज्यपाल को,की जायेगी।

भाग–9

अन्य उपबन्ध

45–**ज्येष्ठता**–नियम 19 के उपनियम (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये किसी व्यक्ति की ज्येष्ठता एतद्पश्चात् दिये गये प्राविधानों के अतिरिक्त मौलिक नियुक्ति की तिथि से निर्धारित की जायेगी और जहां एक से अधिक व्यक्ति साथ–साथ नियुक्त होंगे ज्येष्ठता उसी क्रम में होगी जिसमें उनके नाम नियुक्ति आदेश में व्यवस्थित होंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि सीधी भर्ती से चुने गये अभ्यर्थियों की आपसी ज्येष्ठता वही होगी जो चयन के समय आयोग द्वारा निर्धारित की जायेगी :

प्रतिबन्ध यह भी है कि पदोन्नति द्वारा चुने गये व्यक्तियों की आपसी ज्येष्ठता वही होगी जो उनकी पदोन्नति के समय उनके द्वारा निर्धारित मौलिक नियुक्तियों में थी :

टिप्पणी–(1) जहां पर नियुक्ति आदेश में कोई विशेष तिथि जिससे किसी व्यक्ति की मौलिक नियुक्ति प्रभावी होनी है। (जो सामान्यतया किसी स्थायी पद की रिक्ति में परिवीक्षा पर रखे जाने की तिथि होती है) दी हुई होती है, वह स्थिति मौलिक नियुक्ति के आदेश होने की तिथि मानी जायेगी। अन्य मामलों में इसे आदेश जारी करने की तिथि मानी जायगी।

टिप्पणी–(2) यदि कोई सीधी भर्ती द्वारा चुना गया अभ्यर्थी बिना किसी संतोषजनक कारण के कार्यभार ग्रहण करने में असामान्यतया अधिक समय लेता है तो नियुक्ति प्राधिकारी आयोग के पूर्व अनुमोदन के पश्चात् उसे ज्येष्ठता सूची में ऐसे अन्य अभ्यर्थियों के नीचे रख सकते हैं जो पहले कार्यभार ग्रहण करें।

46–**प्रतिभूति**–लेखाकार एवं कोषाध्यक्ष के पद पर नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति को फाइनेन्शिल हैण्ड बुक, वाल्यूम 5, भाग 1 में दिये गये नियमानुसार 5,000 रु0 की धनराशि की प्रतिभूति देनी होगी।

47–**सेवा के सदस्यों का आचरण**–इन नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये सरकारी कर्मचारियों के आचरण को शासित करने वाले राज्य सरकार के समस्त आदेशों और नियमों जिनमें समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 1956 (उत्तर प्रदेश गवर्नमेन्ट्स सर्वेन्ट्स कन्डक्ट रुल्स, 1956) भी सम्मिलित है, सचिवालय में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति पर प्रवृत्त होंगे। सभापति समय–समय पर सचिवालय में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अनुपालनीय आचरण, अनुशासन एवं नियंत्रण संबंधी अन्य सामान्य अथवा विशेष आदेश दे सकते हैं।

48–**सभापति की** शिथिलीकरण **की शक्ति**–सभापति असाधारण परिस्थितियों में और आयोग के परामर्श से किसी पद के लिये इस नियमों में निर्धारित आयु सीमा को, तथा शैक्षिक अर्हता के अतिरिक्त, अन्य अर्हताओं को, शिथिल कर सकते हैं।

49–**सेवाओं की अन्य शर्तें**–(1) ऐसे मामलों में, जो विशिष्ट रूप से इन नियमों अथवा इनके अधीन दिये गये अथवा जारी किये गये आदेशों अथवा विशेष आदेशों के अन्तर्गत नहीं आते, सचिवालय में नियुक्त व्यक्ति उन नियमों, विनियमों तथा आदेशों से (आवश्यक परिवर्तनों के साथ) शासित होंगे जो उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यों के संबंध में समकक्ष पदों पर सेवारत सरकारी सेवाओं पर सामान्य रूप से लागू हों :–

(2) सन्देह की दशा में नियम–50 के अनुसार सभापति :–

(क) सरकार के अधीन उन सेवकों का जो सचिवालय के पदों में समकक्ष है, और

(ख) सरकार के अधीन पदों पर प्रयुक्त उन नियमों, विनियमों और आदेशों तथा उनमें परिवर्तन के सम्बन्ध में जो सचिवालय में समकक्ष पदों पर लागू होंगे, निश्चय करेंगे।

50–**सभापति द्वारा आदेश जारी करने की प्रक्रिया**–अन्यथा उपबन्धित व्यवस्था के अतिरिक्त इन नियमों के अधीन, किसी आदेश को जारी किये जाने के पूर्व, सभापति सरकार के उन विभागों अथवा प्राधिकारियों से, यथास्थिति परामर्श अथवा सहमति प्राप्त करेंगे, जिनसे अथवा जिनकी समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश रूल्स आफ बिजनेस, 1975 अथवा यथास्थिति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन किसी उद्घोषणा के प्रवर्तन की अवधि में प्रवृत्त किसी तत्सम नियमों, तथा इस संबंध में अन्य तत्समय प्रवृत्त नियमों एवं सरकारी आदेशों के अधीन ऐसे आदेश जारी करने से पूर्व, राज्य सरकार के सचिवालय के किसी विभाग का परामर्श अथवा सहमति प्राप्त करना अपेक्षित है।

51–**सभापति द्वारा दिये गये आदेश का प्रमाणीकरण**–इन नियमों के उपबन्धों के अधीन सभापति के आदेश को ऐसी रीति से तथा ऐसे अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जायगा जिन्हें सभापति समय–समय पर सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट करें।

52–**निरसन तथा व्यावृत्ति**–इन नियमों में स्पष्ट रूप से अन्यथा उपबन्धित स्थिति के अतिरिक्त, इन नियमों के समकक्ष समस्त नियम जो इन नियमों अथवा आदेशों के प्रारम्भ के ठीक पूर्व सचिवालय के अधिकारी और सेवक वर्ग पर लागू थे, एतद्वारा निरस्त किये जाते हैं :

प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार निरस्त किये गये नियमों अथवा आदेशों के अन्तर्गत दिया गया कोई आदेश अथवा किया गया कोई कार्य इन नियमों के अधीन दिया हुआ या किया हुआ समझा जायेगा।

अनुसूची–1

[देखिये नियम 3 (3) तथा 30]

पदनाम	वेतनमान (रुपये)	पदों की संख्या	रिमार्क
* सचिव विधान परिषद्	1,000–50–1,350–75–1,950–50–2,000	1	अस्थायी
समिति अधिकारी	500–25–650–30–800–50–1,000 या 800–50–1,100		1 स्थायी (विशेष वेतन 100 रू0 प्रतिमाह)
अनुभाग अधिकारी	500–25–650–30–800–50–1,000 या 500–25–700–40–900–50–1000	3	2 स्थायी 1अस्थायी
निजी सचिव (प्रवरण श्रेणी)	800–50–1,100	1	स्थायी
मुख्य प्रतिवेदक	800–50–1,100	1	स्थायी
उप मुख्य प्रतिवेदक	500–25–650–30–800–50–1,000	1	अस्थायी
निजी सचिव (ग्रेड–2)	500–25–650–30–800–50–1,000 या 500–25–700–40–900–50–1000	1	स्थायी
मार्शल	550–30–700–50–900–50–1200	1	अस्थायी
हिन्दी रिपोर्टर(सेलेक्शन ग्रेड)	450–25–650–30–800–50–950	1	स्थायी
हिन्दी रिपोर्टर्स	450–25–575–25–700–30–850	7	स्थायी
प्रवर वर्ग सहायक	350–15–500–20–600–25–700	14	10 स्थायी 4 अस्थायी
वैयक्तिक सहायक	350–15–500–20–600–25–700	4	स्थायी
लेखाकार एवं कोषाध्यक्ष	350–15–500–20–600–25–700	1	स्थायी
अवर वर्ग सहायक	280–8–320–9–410–10–450	12	11 स्थायी 1 अस्थायी
टंकक	200–5–250–6–280–8–320	3	अस्थायी
ड्राइवर	185–3–215–4–235–8–265	2	1 स्थायी 1 अस्थायी 50 रू0 प्रतिमाह विशेष वेतन
जमादार	170–2–190–3–205–4–225	3	स्थायी
दफ्तरी	170–2–190–3–205–4–225	1	स्थायी
चपरासी	165–2–185–3–215	16	स्थायी
सफाई मजदूर	165–2–185–3–215	1	स्थायी

* उत्तर प्रदेश संसदीय कार्य अनु0–1 की अधिसूचना संख्या 1354/सत्रह–सं–1–2003–38 सं/2003, दिनांक 4 अगस्त, 2003 द्वारा संशोधित।

अनुसूची–2

[नियम संख्या–31 (2) (ग) देखिये]

घोषणा का प्रपत्र

(क)

(उनके लिये जिनके पास कोई अचल सम्पत्ति नहीं है)

मैं एतद्वारा घोषित करता हूं कि मेरे पास कोई अचल सम्पत्ति नहीं है। यदि मैं इसके पश्चात् कोई अचल सम्पत्ति अर्जित (अक्वायर) करता हूं तो मैं इस तथ्य की घोषणा सम्बन्धित अवधि की पंचवर्षीय घोषणा में करूंगा।

दिनांक.................................

हस्ताक्षर..

पद नाम..

(ख)

(उनके लिये जिनके पास अचल सम्पत्ति है)

मैं एतद्वारा घोषित करता हूं कि मेरे अधिकार में निम्नलिखित अचल सम्पत्ति है :

भू–सम्पत्ति

धारित भूमि			क्षेत्र एकड़ में	अर्जित अथवा पूर्वजीय (यदि अर्जित है तो अर्जन का दिनांक)	वार्षिक राजस्व	आकलित मूल्य	अभ्युक्ति
जिला	तहसील	ग्राम					
1			2	3	4	5	6

गृह सम्पत्ति

क्रमांक	में गृह स्थिति है ग्राम, नगर, जिला (टाउन) अथवा नगर	गृह की संख्या	अर्जित अथवा पूर्वजीय यदि अर्जित,तो अर्जन का दिनांक	निवास क्या प्रयोग में है अथवा किराये पर दिया है	वार्षिक किराया	आंकलित मूल्य	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8

यदि मैं इसके उपरान्त भविष्य में अचल सम्पत्ति अर्जित करता हूं तो मैं इस तथ्य की घोषणा सम्बन्धित अवधि की पंचवर्षीय घोषणा में करूंगा।

दिनांक..........................

हस्ताक्षर..

पदनाम..

टिप्पणी :– अचल सम्पत्ति में ऐसी गृह अथवा भू–सम्पत्ति सम्मिलित है जो बन्धक अथवा पट्टे पर हो।

ऐसी सम्पत्ति जब किसी अधिकारी या कर्मचारी की पत्नी के द्वारा या उसकी ओर से अथवा इसके परिवार के किसी ऐसे सदस्य द्वारा, उसकी ओर से जो उसके साथ संयुक्त हो अथवा रहता हो अथवा किसी भी प्रकार से उस पर आश्रित हो, वृत अथवा प्रबन्धित हो, इस घोषणा के प्रयोजन के लिये अधिकारी या कर्मचारी द्वारा अर्जित प्रतिबन्धित समझी जायेगी।

(ग)

[उनके लिये जिनके पास कोई अंश (शेयर) अथवा विनिधान (इन्वेस्टमेंट) नहीं है,]

मैं एतद्द्वारा घोषित करता हूं कि मेरे पास कोई अंश अथवा अन्य विनिधान नहीं है। यदि मैं इसके उपरान्त कोई अंश अर्जित करता हूं अथवा अन्य विनिधान करता हूं तो इस तथ्य की घोषणा सम्बन्धित अवधि की पंचवर्षीय घोषणा में करूंगा।

दिनांक.............................

हस्ताक्षर...

पदनाम...

(घ)

(उनके लिये जिनके पास अंश अथवा अन्य विनिधान है)

मैं एतद्द्वारा घोषित करता हूं कि मेरे पास निम्नलिखित अंश तथा विनिधान है :–

क्रमांक	विवरण	अर्जित करने का दिनांक	प्रत्येक अंशका मूल्य	धारित अंशकी संख्या	अंश के मूल्य का योग	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7

विनिधान				
क्रमांक	विवरण	विनिधान कादिनांक	मूल्य	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5

यदि मैं भविष्य में अंश अर्जित करता हूं अथवा विनिधान करता हूं कि इस तथ्य की घोषणासंबंधित अवधि की पंचवर्षीय घोषणा में करूंगा।

दिनांक....................................

हस्ताक्षर..

पदनाम..

विधान परिषद् सचिवालय में माह नवम्बर, 2015 को स्थायी/अस्थायी पदों की अद्यावधिक स्थिति राजपत्रित अधिकारी

क्र०सं०	पद के नाम	पदों की संख्या स्थाई	अस्थाई	वेतन बैण्ड	वेतनमान	ग्रेड वेतन
1	प्रमुख सचिव, विधान परिषद्	1	---	4	67000—79000	
2	विशेष सचिव	1	---	4	37400—67000	8900
3	विशेष सचिव एवं वित्त नियंत्रक		1	4	37400—67000	8900
4	प्रधान निजी सचिव	1	---	4	37400—67000	8900
5	संयुक्त सचिव	1		4	37400—67000	8700
6	प्रमुख प्रतिवेदक	1	---	4	37400—67000	8700
7	निजी सचिव श्रेणी —4	1	---	4	37400—67000	8700
8	उप सचिव	2	1	3	15600—39100	7600
9	निजी सचिव (श्रेणी—3)	1	---	3	15600—39100	7600
10	मुख्य प्रतिवेदक	1	---	3	15600—39100	7600
11	उप मुख्य प्रतिवेदक	2	---	3	15600—39100	6600
12	अनु सचिव	3	---	3	15600—39100	6600
13	अनु सचिव एवं समिति अधिकारी	2	---	3	15600—39100	6600
14	अनु सचिव एवं विधायी अधिकारी	---	1	3	15600—39100	6600
15	निजी सचिव श्रेणी—2	2	---	3	15600—39100	6600
16	मुख्य सम्पादक	1	---	3	15600—39100	6600
17	मार्शल	1	---	3	15600—39100	5400
18	जनसम्पर्क अधिकारी(निःसंवर्गीय)	---	3	3	15600—39100	5400
19	विशेष कार्याधिकारी	---	1	3	15600—39100	5400
20	शोध अधिकारी	1	---	3	15600—39100	5400
21	अनुभाग अधिकारी	10	---	3	15600—39100	5400
22	निजी सचिव (श्रेणी—1)	09	---	3	15600—39100	5400
23	अनुभाग अधिकारी (लेखा—1)	1	3	3	15600—39100	5400
24	सम्पादक	1	---	3	15600—39100	5400
25	वृत्त लेखक	9	---	2	9300—34800	4800
26	व्यवस्थाधिकारी	1	---	2	9300—34800	4600
27	सूचना अधिकारी	1	---	2	9300—34800	4600
28	डिप्टी मार्शल	1	---	2	9300—34800	4600
	कुल पद	55	7	कुल योग—62		

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्मिक अनुभाग–2

संख्या : 18/2/81–का—2/2012

लखनऊ, दिनांक 06 जून, 2012

अधिसूचना

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) नियमावली, 1972 में संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तर प्रदेश सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) (दसवां संशोधन) नियमावली, 2012

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ — 1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) (दसवां संशोधन) नियमावली, 2012 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 2 का संशोधन — 2–उत्तर प्रदेश सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) नियमावली, 1972 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 2 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थात् :–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
अधिकतम आयु सीमा — 2–राज्यपाल के नियम बनाने की शक्ति के अधीन ऐसी समस्त सेवाओं में और पदों पर भर्ती के संबंध में जिनके लिये अधिकतम आयु सीमा बत्तीस वर्ष है, अधिकतम आयु सीमा पैंतीस वर्ष होगी।	अधिकतम आयु सीमा — 2–राज्यपाल के नियम बनाने की शक्ति के अधीन ऐसी समस्त सेवाओं में और पदों पर भर्ती के संबंध में जिनके लिये अधिकतम आयु सीमा पैंतीस वर्ष है, अधिकतम आयु सीमा चालीस वर्ष होगी: परन्तु जहां उत्तर प्रदेश सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) (दसवां संशोधन) नियमावली, 2012 के प्रारम्भ होने के पूर्व विज्ञापन किया जा चुका है, वहां अधिकतम आयु सीमा वही होगी, जो उक्त नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व विद्यमान थी।

आज्ञा से,

राजीव कुमार,

प्रमुख सचिव।

अराजपत्रित कर्मचारी (तृतीय श्रेणी)

क्र० सं०	पद के नाम	पदों की संख्या		वेतन बैण्ड	वेतनमान	ग्रेड वेतन
		स्थाई	अस्थाई			
1	समीक्षा अधिकारी	33	01	2	9300—34800	4800
2	संदर्भ सहायक	04	——	2	9300—34800	4800
3	समीक्षा अधिकारी (लेखा)	03	——	2	9300—34800	4800
4	अपर निजी सचिव	24	——	2	9300—34800	4800
5	सहायक मार्शल	01	——	2	9300—34800	4200
6	शोध सहायक	04	——	2	9300—34800	4200
7	सहायक समीक्षा अधिकारी	47	01	2	9300—34800	4600
8	वरिष्ठ सुरक्षा सहायक	01	——	1	5200—20200	2400
9	कम्प्यूटर सहायक	——	05	1	5200—20200	2400
10	सुरक्षा सहायक(पुरूष)	13	05	1	5200—20200	2000
11	सुरक्षा सहायक (महिला)	03	——	1	5200—20200	2000
12	वाहन चालक विशेष श्रेणी	01	——	2	9300—34800	4600
13	वाहन चालक ग्रेड—1	——	——	2	9300—34800	4200
14	वाहन चालक ग्रेड—2	02	——	1	5200—20200	2800
15	वाहन चालक ग्रेड—3	01	01	1	5200—20200	2400
16	वाहन चालक ग्रेड—4	——	02	1	5200—20200	1900
	कुल पद	137	15	कुल योग—152		

अराजपत्रित कर्मचारी (चतुर्थ श्रेणी)

क्र० सं०	पद के नाम	पदों की संख्या		वेतन बैण्ड	वेतनमान	ग्रेड वेतन
		स्थाई	अस्थाई			
1	साइक्लोस्टाइल मशीन आपरेटर	03	---	1	5200—20200	1800
2	टाइपराइटर मैकेनिक	01	---	1	5200—20200	1800
3	वरिष्ठ अनुसेवक	10	---	1	5200—20200	1800
4	दफ्तरी	01	---	1	5200—20200	1800
5	अनुसेवक	55	01	1	5200—20200	1800
6	स्वीपर	04	---	1	5200—20200	1800
	कुल पद	74	01	कुल योग—75		

पद	स्थायी	अस्थायी	योग
राजपत्रित अधिकारी	55	07	62
अराजपत्रित अधिकारी (तृतीय श्रेणी)	137	15	152
अराजपत्रित अधिकारी (चतुर्थ श्रेणी)	74	1	75
कुल योग :—	266	23	289

———

संलग्नक–2

परिशिष्ट–89

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्मिक अनुभाग (2)

संख्या 21/4––1971–कार्मिक (2)

लखनऊ, 23 जून, 1979

अधिसूचना

संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रतिबन्धात्मक खण्ड द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तर प्रदेश सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1979

1–संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ–(1) यह नियमावली, 'उत्तर प्रदेश सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1979' कहलायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2–उत्तर प्रदेश सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) नियमावली, 1972 में संशोधन–उत्तर प्रदेश सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) नियमावली, 1972 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये नियम 2 तथा 4 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये नियम 2 तथा 4 रख दिये जायेंगे।

उत्तर प्रदेश सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) नियमावली, 1972 में संशोधन

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
2–अधिकतम आयु सीमा–राज्यपाल के नियम विधायी अधिकार के अधीन ऐसी समस्त सेवाओं तथा पदों के संबंध में जिन पर भर्ती के लिये अधिकतम आयु सीमा 27 वर्ष से कम है, अधिकतम आयु सीमा 27 वर्ष होगी।	**2–अधिकतम आयु सीमा**–राज्यपाल के नियम विधायी अधिकार के अधीन ऐसी समस्त सेवाओं तथा पदों के संबंध में जिन पर भर्ती के लिये अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष से कम है, अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष होगी।
नियमावली का अधिभावी प्रभाव–यह नियमावली संगत सेवा नियमों मेंदिये गये किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, अलावा ऐसे विधायन के संबंध में, जो इस नियमावली की प्रवृत्ति से पूर्व किया गया हो, प्रभावी होंगी।	**4–नियमावली का अधिभावी प्रभाव**– (1) यह नियमावली संगत नियमों में दी गयी प्रतिकूल बात के होते हुए भी निम्न के अलावा सभी मामलों में प्रभावी होंगी :– (क) जहां परीक्षा आवश्यक है व परीक्षा हो चुकी है। (ख) जहां केवल साक्षात्कार आवश्यक व साक्षात्कार हो चुका है। (ग) जहां बिना परीक्षाअथवा साक्षात्कार के चयन होना है व चयन हो चुका है।

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
	(2) यदि उत्तर प्रदेश सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1979 लागू होने से पहले किसी पद पर चयन हेतु विज्ञापन दे दिये गये हैं, या प्रार्थना–पत्र आमंत्रित कर लिये गये हैं तो आयु की गणना उसी दिनांक को की जायेगी जो दिनांक पूर्व में दिये गये इस विज्ञापन अथवा प्रार्थना–पत्र मांगने के आदेश में निर्धारित थी।

आज्ञा से,
दिलीप कुमार भट्टाचार्या,
मुख्य सचिव।

संख्या 21/4–1971 (1)–कार्मिक–2

प्रतिलिपि अधिसूचना के अंग्रेजी/उर्दू रूपान्तर की एक प्रति सहित संयुक्त अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को उत्तर प्रदेश के असाधारण गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

संख्या 21/4–1971 (2)–कार्मिक–2

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

(2)उत्तर प्रदेश के समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष।

(3) आयोग के टेलेक्स संख्या जी–1–1948–231/1940, दिनांक 18 जून, 1970 तथा पत्र संख्या जी–1–1924 /231/1940, दिनांक 18 जून, 1979 के संदर्भ में सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

वे कृपया इस नियमावली द्वारा प्रदत्त आयु सीमा से अर्ह हुए अभ्यर्थियों को भी परीक्षा / चयन के अवसर सुनिश्चित कराने हेतु जहां विज्ञापन निकल भी चुके हैं, या आवेदन–पत्रों के दाखिल करने की अंतिम तिथि बीत चुकी है, अथवा आगामी अवधि शेष है तथा तद्विषयक परीक्षा साक्षात्कार एवं चयन नहीं हुए हैं, उन मामलों में पूरक विज्ञापन जारी कर इस व्यवस्था को लागू करायें ।

संख्या 21/4–1971(3)–कार्मिक–2

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

(1) मंत्रियों के सूचनार्थ उनके निजी सचिव।

(2) उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के सचिव।

आज्ञा से,
सुमन कुमार माडवल,
सचिव।

संलग्नक–3

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्मिक अनुभाग–2

संख्या : 18/2/1981– कार्मिक–2

लखनऊ, 25 फरवरी, 1983

अधिसूचना

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तर प्रदेश सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1983

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1983 कही जायेगी। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2–उत्तर प्रदेश में भर्ती (आयु सीमा) नियमावली, 1972 के जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, नियम 2 में शब्द और अंक "28 वर्ष" जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द "तीस वर्ष" रख दिये जायेंगे। नियम 2 का संशोधन

3–उक्त नियमावली के नियम 4 में, उप नियम (2) में, शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1979" के स्थान पर शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1983" रख दिये जायेंगे। नियम 4 का संशोधन

आज्ञा से,
राजेन्द्र पाल खोसला,
मुख्य सचिव।

संख्या 18/2/1981 (1)–कार्मिक–2

प्रतिलिपि अधिसूचना के अंग्रेजी/उर्दू रूपान्तर की एक प्रति सहित अधीक्षक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को उत्तर प्रदेश के गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

संख्या 18/2/1981 (2)–कार्मिक–2

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

(2) उत्तर प्रदेश के समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष।

(3) सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(4) मंत्रियों तथा उप मंत्रियों के सूचनार्थ उनके निजी सचिव।

(5) उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के सचिव।

(6) सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।

(7) गोपन अनु0–1 को उनके पत्र सं0 4/2/6–83–सी0 एक्स0 (1), दिनांक 13 फरवरी के संदर्भ में।

आज्ञा से,
कर्नेल सिंह,
सचिव।

संलग्नक–5

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्मिक अनुभाग–2

संख्या 18/2/81–का–2–2000 तद्दिनांक
लखनऊ, दिनांक 21 जनवरी, 2000

अधिसूचना

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) नियमावली, 1972 में संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तर प्रदेश सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) (नवां संशोधन) नियमावली, 2000

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) (नवां संशोधन) नियमावली, 2000 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 2 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) नियमावली, 1972 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम 2 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थात् :–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम		स्तम्भ–2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम	
अधिकतम आयु सीमा	2–राज्यपाल के नियम बनाने की शक्ति के अधीन ऐसी समस्त सेवाओं में और पदों पर भर्ती के संबंध में जिनके लिये अधिकतम आयु सीमा तीस वर्ष है, अधिकतम आयु सीमा बत्तीस वर्ष होगी।	अधिकतम आयु सीमा	2–राज्यपाल के नियम बनाने की शक्ति के अधीन ऐसी समस्त सेवाओं में और पदों पर भर्ती के संबंध में जिनके लिये अधिकतम आयु सीमा बत्तीस वर्ष है, अधिकतम आयु सीमा पैंतीस वर्ष होगी : परन्तु जहां उत्तर प्रदेश सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) (आठवां संशोधन) नियमावली, 1991 के प्रारम्भ होने के पूर्व विज्ञापन किया जा चुका है, वहां अधिकतम आयु सीमा वही होगी, जो उक्त, नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व विद्यमान रही हो।

आज्ञा से,
प्रदीप शुक्ला,
सचिव।

संख्या 18 / 2 / 81–का–2–2000 तददिनांक

उपर्युक्त नियमावली की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

(1) सचिव, कार्मिक, लोक शिकायत एवं राजनैतिक पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग), सरदार पटेल भवन, भारत सरकार, नई दिल्ली।

(2) समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

(3) सचिव, राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ / इलाहाबाद।

(4) समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उ0प्र0।

(5) समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ०प्र०।

(6) सचिव, विधान सभा / विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।

(7) सचिव, लोक सेवा आयोग, उ०प्र०, इलाहाबाद।

(8) रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद / लखनऊ।

(9) निबन्धक, उ0प्र0 सहकारी समितियां, उ0प्र0।

(10) निदेशक, शिक्षण एवं सेवायोजन, उ0प्र0।

(11) निदेशक, उत्तर प्रदेश प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल।

(12) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

(13) समस्त निजी सचिव, मा0 मंत्रीगण।

आज्ञा से,
पी० एन० यादव,
संयुक्त सचिव।

यू0 पी0 राजपत्र (अतिरिक्त), दिनांक 28 अगस्त, 1982 में प्रकाशित विधायी विभाग

लखनऊ, 26 अगस्त 1982

संख्या 3679–एस/XVII–111 एस–82–भारत के संविधान के अनुच्छेद 187 के खंड (3) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उत्तर प्रदेश विधान परिषद के उपाध्यक्ष के परामर्श से, जो, वर्तमान में, अनुच्छेद 184 के खंड (1) के तहत विधान परिषद के अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन करते हुए, राज्यपाल उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय (भर्ती और शर्तें) में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियम बनाने में प्रसन्न हैं सेवा) नियमावली, 1976 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रख्यापित, संसदीय अनुभाग अधिसूचना संख्या 2003 S/XVII-100 68, दिनांक 19 जून, 1976।

1–**संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ**–(1) इन नियमों को उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) (संशोधन) नियमावली 1982 कहा जायेगा।

(2) ये नियम तुरंत लागू होंगे।

2–**नियम 2 में संशोधन**–उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 1976 के नियम 2 में खण्ड (iii) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड (iii) प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(*iii) 'अध्यक्ष' का अर्थ परिषद का अध्यक्ष है और इसमें संविधान के अनुच्छेद 184 के खंड (1) के तहत अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन करने वाला उपाध्यक्ष शामिल है।''

उत्तर प्रदेश सरकार

संसदीय कार्य अनुभाग–1

संख्या 1354 / सत्रह–सं0–1–2003–38 सं०–2003

लखनऊ, 8 अगस्त, 2003

अधिसूचना

सा० प० नि०–55

संविधान के अनुच्छेद 187 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के सभापति के परामर्श से उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तों) के नियम, 1976 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तों) की (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2003

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तों) की (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2003 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सामान्य संशोधन

2–उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तों) के नियम 1976, जिसे आगे उक्त नियम कहा गया है, में शब्द "सचिव" जहाँ भी, जिसके अन्तर्गत परिभाषायें भी हैं, आया हो, के स्थान पर शब्द "प्रमुख सचिव" रख दिये जायेंगे।

अनुसूची–1 का संशोधन

3–उक्त नियम में, अनुसूची–1 में, नीचे स्तम्भ–1 में स्तम्भवार दी गयी प्रथम प्रविष्टि के स्थान पर स्तम्भ–2 में स्तम्भवार दी गयी प्रथम प्रविष्टि रख दी जायेगी, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 विद्यमान प्रविष्टि				स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रविष्टि			
1	2	3	4	1	2	3	4
सचिव, विधान परिषद्	रुपये 1000–50–1350–75–1950–50–2000	1	अस्थायी	प्रमुख सचिव, विधान परिषद्	रुपये 22400–525–24500	1	स्थायी

आज्ञा से,
ए० बी० शुक्ला,
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकार

संसदीय कार्य अनुभाग–1

संख्या 979/90 सं0–1–2018–38–सं0–2003

लखनऊ, 26 नवम्बर, 2018

अधिसूचना

सा०प०नि०–91

संविधान के अनुच्छेद 187 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, सभापति, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के परामर्श से, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियमावली, 1976 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2018

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2018 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम 6 का संशोधन

2 (क)–उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियमावली, 1976 में, नियम 6 में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये खण्ड (1) के स्थान पर स्तम्भ–2 मेंदिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 **विद्यमान खण्ड**	स्तम्भ–2 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड**
(1–क) **(1) प्रमुख सचिव**–आयोग के माध्यम से चयन करके सीधी भर्ती द्वारा।	**(1) प्रमुख सचिव**–सभापति द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार गठित चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा : प्रतिबन्ध यह है कि यदि सीधी भर्ती के लिये पात्र और उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध न हो तो उस पद को नियम 10 में उल्लिखित शैक्षिक तथा अन्य अर्हता धारित करने वाले व्यक्तियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवधि तीन वर्ष होगी। समिति निम्नवत् होगी :–

(क) सभापति विधान परिषद;	अध्यक्ष
(ख) संसदीय कार्य मंत्री, उत्तर प्रदेश;	सदस्य
(ग) यदि अध्यक्ष या उपर्युक्त उपखण्ड (क) और उप खण्ड (ख) में उल्लिखित सदस्य अनूसूचित जातियोंया अनुसूचित जनजातियों का न	सदस्य

स्तम्भ–1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड	
	हो तो सभापति द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का कोई एक व्यक्ति। यदि अध्यक्ष या उपर्युक्त उप खण्ड (क) और उप खण्ड (ख) में उल्लिखित सदस्य अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का हो तो सभापति द्वारा एक ऐसा व्यक्ति नाम निर्दिष्ट किया जायेगा, जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछडे वर्गों का न हो;	
	(घ) यदि अध्यक्ष या उपर्युक्त उप खण्ड (क), उप खण्ड (ख) और उप खण्ड (ग) में उल्लिखित सदस्य अन्य पिछड़ेवर्गों का न हो, तो सभापति द्वारा एक ऐसे व्यक्ति को नाम निर्दिष्ट किया जायेगा जो अन्य पिछड़े वर्गों का होगा। यदि अध्यक्ष या उपर्युक्त उप खण्ड (क), उप खण्ड (ख) और उप खण्ड (ग) में उल्लिखित सदस्य अन्य पिछड़े वर्गों का हो तो एक ऐसा व्यक्ति नाम निर्दिष्ट किया जायेगा, जो अन्य पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का न हो।	सदस्य

3–उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये नियम 9 के स्थान पर, स्तम्भ–2 में नियम 9 का दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :– नियम 9 का संशोधन

स्तम्भ–1

विद्यमान खण्ड

9–आयु सीमा–सचिवालय के विभिन्न संवर्गों के पदों पर सीधी भर्ती के लिये, जिस वर्ष पद विज्ञापित हो, उस वर्ष की जुलाई के प्रथम दिन, अभ्यर्थी निम्नलिखित न्यूनतम आयु से कम अथवा अधिकतम से अधिक का नहीं होगा–

	न्यूनतम	अधिकतम
(1) प्रमुख सचिव	35	52
(2) मार्शल	30	45

स्तम्भ–2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड

9–आयु सीमा–सचिवालय के विभिन्न संवर्गों के पदों पर सीधी भर्ती के लिये, जिस वर्ष पद विज्ञापित किया जाय, उस वर्ष की जुलाई के प्रथम दिवस को, अभ्यर्थी नीचे दिये गये न्यूनतम आयु से कम अथवा अधिकतम आयु से अधिक का नहीं होगा–

	न्यूनतम	अधिकतम
(1) प्रमुख सचिव	35	55
(2) मार्शल	30	45

न्यूनतम अधिकतम

स्तम्भ–1

विद्यमान खण्ड

	न्यूनतम	अधिकतम
(1) प्रमुख सचिव	35	52
(2) मार्शल	30	45
(3) वृत्त लेखक	22	35
(4) वैयक्तिक सहायक	21	30
(5) प्रवर वर्ग सहायक	21	27
(6) अवर वर्ग सहायक	21	27
(7) टंकक	18	27
(8) मोटर ड्राइवर	18	40
(9) वर्ग 4 के अन्य कर्मचारी	18	30

प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई अभ्यर्थी अपनी आयु तथा अन्य अर्हताओं के आधार पर नियमों के अन्तर्गत किसी वर्ष परीक्षा अथवा चयन में सम्मिलित होने का अधिकारी हो किन्तु उस वर्ष ऐसी परीक्षा या चयन न हो तो वह अपनी आयु के संबंध में आगामी दूसरी परीक्षा अथवा चयन में सम्मिलित होने का अधिकारी समझा जायेगा :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि सभापति न्यायोचित व्यवहार के हित में अथवा जनहित में आवश्यक समझें तो किसी अभ्यर्थी अथवा अभ्यर्थी वर्ग के पक्ष में अधिकतम आयु सीमा को शिथिल कर सकते हैं :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह भी है कि जिन पदों पर भर्ती आयोग के माध्यम से होनी है उनके संबंध में नियम शिथिल करने से पूर्व आयोग से परामर्श किया जायेगा।

स्तम्भ–2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड

	न्यूनतम	अधिकतम
(1) प्रमुख सचिव	35	55
(2) मार्शल	30	45
(3) वृत्त लेखक	22	35
(4) वैयक्तिक सहायक	21	30
(5) प्रवर वर्ग सहायक	21	27
(6) अवर वर्ग सहायक	21	27
(7) टंक	18	27
(8) मोटर डाइवर	1	4
(9) वर्ग 4 के अन्य कर्मचारी	8	3

प्रतिबन्ध यह है कि यदि अभ्यर्थी अपनीआयु तथा अन्य अर्हताओं के आधार पर नियमावली के अधीन किसी वर्ष परीक्षा अथवा चयन में सम्मिलित होने का हकदार हो किन्तु उस वर्ष ऐसी परीक्षा या चयन न हो तो वह अपनी आयु के संबंध में आगामी अनुवर्ती परीक्षा अथवा चयन में सम्मिलित होने का हकदार समझा जायेगा :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि सभापति न्यायोचित व्यवहार के हित में अथवा जनहित में आवश्यक समझें तो किसी अभ्यर्थी अथवा अभ्यर्थी वर्ग के पक्ष में अधिकतम आयु सीमा को शिथिल कर सकते हैं :

प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि प्रमुख सचिव के पद के लिये चयन हेतु किसी सेवानिवृत्त व्यक्ति पर विचार किया जाता है तो 55 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी।

स्तम्भ–1 विद्यमान उप नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप नियम
टिप्पणी–अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन–जातियों के अभ्यर्थियों की आयु सीमा निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से पांच वर्ष अधिक होगी।	टिप्पणी–अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन–जातियों के अभ्यर्थियों के मामले में विहित अधिकतम आयु सीमा पांच वर्ष अधिक होगी।

4–नियम 9 के पश्चात् नया नियम 9–क बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात :– नियम 9 क का संशोधन

9–क–प्रमुख सचिव की अधिवर्षता वहीं होगी, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विहित की जाय:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई सेवानिवृत्त अधिकारी प्रमुख सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है, तो वह पैसठ वर्ष की आयु प्राप्त होने तक अथवा पांच वर्ष की सेवा अवधि के लिये जो भी पहले हो, पद धारण करता रहेगा। पदावधि

5 (क)–उक्त नियमावली में नियम 10 में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये उप नियम (1) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :– नियम 10 का संशोधन

स्तम्भ–1 विद्यमान उप नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप नियम
(1) प्रमुख सचिव – भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की विधि के स्नातक की उपाधि, एडवोकेट या प्लीडर के नाते जुडिशियल सर्विस में सेवा का अथवा संसद या किसी राज्य के विधान मण्डल के सचिवालय या केन्द्रीय या किसी राज्य सरकार के विधि विभाग में कार्य करने का कम से कम 10 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव/संसदीय कार्य एवं विधायी प्रक्रिया का व्यवहारिक अनुभव प्राप्त व्यक्ति को वरीयता दी जायेगी।	(1) प्रमुख सचिव – भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की विधि की स्नातक उपाधि तथा उच्चतर न्यायिक सेवा का सेवारत अथवा सेवानिवृत्त अधिकारी अथवा अधिवक्ता के रूप में अथवा संसद अथवा किसी राज्य विधान मण्डल के सचिवालय अथवा संघ अथवा किसी राज्य सरकार के विधि विभाग में अधिकारी के रूप में न्यूनतम 10 वर्ष कार्य करने का अनुभव हो। उन व्यक्तियों को अधिमान प्रदान किया जायेगा जो उत्तर प्रदेश सरकार के न्याय एवं विधायी विभाग या संसदीय कार्य विभाग में कार्य करने का व्यवहारिक अनुभव रखते हों अथवा जो संसदीय कार्य करने का अनुभव रखते हों।

परिशिष्ट–1 का संशोधन

6–उक्त नियमावली में, नीचे अनुसूची–क में दी गयी परिशिष्ट–1 के स्थान पर अनुसूची–ख में दी गयी परिशिष्ट रख दी जायेगी, अर्थात् :–

अनुसूची–क

विद्यमान परिशिष्ट

परिशिष्ट–1

[नियम 3 (3) तथा 30 देखें]

पदनाम	वेतनमान (रूपये)	पदों की संख्या	रिमार्क्स
1	2	3	4
* सचिव, विधान परिषद्	1000–50–1350–75–1950–50–2000	1	अस्थायी

अनुसूची–ख

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट

परिशिष्ट–1

[नियम 3 (3) तथा 30 देखें]

राजपत्रित अधिकारी

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या			वेतनमान	
		स्थायी	अस्थायी	कुल	पे मैट्रिक्स लेवल	वेतन
1	2	3	4	5	6	7
1	प्रमुख सचिव	1	—	1	15	182200–224100

आज्ञा से,
कौशलेन्द्र यादव,
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकार

संसदीय कार्य अनुभाग–1

संख्या 9/90सं––2020–38सं–2003

लखनऊ, दिनांक 14 जनवरी, 2020

अधिसूचना

सा0प0नि0–1

संविधान के अनुच्छेद 187 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, सभापति, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के परामर्श से, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियमावली, 1976 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं:–

उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2019

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश, विधान परिषद सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2019 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम 2 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियमावली, 1976, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नियम 2 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये खण्ड (5) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(5) "प्रतियोगिता परीक्षा" का तात्पर्य सेवा में सम्मिलित किसी पद के लिये आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा से है और उसके अंतर्गत ऐसे पदों और राज्य सरकार के सचिवालय में समकक्ष पदों के लिये आयोग द्वारा आयोजित सम्मिलित प्रतियोगिता परीक्षा भी है;	(5) "प्रतियोगिता परीक्षा" का तात्पर्य सेवा में सम्मिलित किसी पद के लिये इस नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आयोजित लिखित प्रतियोगिता परीक्षा से है;

नियम 6 का संशोधन

3–(क) नियम 6 में खण्ड (1–क) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात् :–

(1–ख) विशेष सचिव

ऐसी चयन समिति के माध्यम से मौलिक रूप से नियुक्त संयुक्त सचिवों में से, 'योग्यता–सह–ज्येष्ठता' के आधार पर पदोन्नति द्वारा, जिसमें निम्नलिखित होंगे:

(क) सभापति, उत्तर प्रदेश, विधान परिषद्	अध्यक्ष
(ख) प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश विधान परिषद्	सदस्य
(ग) सभापति द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का एक अधिकारी, जो सचिव की श्रेणी से नीचे का न हो। यदि अध्यक्ष, चयन समिति अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का हो तो सचिव की श्रेणी से अनिम्न श्रेणी का एक ऐसा अधिकारी, जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का न हो, सभापति द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा।	सदस्य

(घ) सभापति द्वारा नाम निर्दिष्ट अन्य पिछड़े वर्गों का एक अधिकारी, जो सचिव की श्रेणी से नीचे का न हो। यदि अध्यक्ष, चयन समिति अन्य पिछड़े वर्गों का हो तो सचिव की श्रेणी से अनिम्न श्रेणी का एक ऐसा अधिकारी, जो अन्य पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का न हो, सभापति द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा : — सदस्य

प्रतिबन्ध यह है कि यदि पात्र तथा उपयुक्त व्यक्ति पदोन्नति हेतु उपलब्ध न हों तो उक्त पद नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विधान सभा सचिवालय अथवा उत्तर प्रदेश सचिवालय के संयुक्त सचिव से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्ष होगी।

(1–खख) विशेष सचिव–सह–वित्त नियंत्रक

उक्तपद सभापति द्वारा वित्त एवं लेखा सेवाओं के 5 अधिकारियों के पैनल में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जा सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि विशेष सचिव–सह–वित्त नियंत्रक के स्तर का अवधारण वित्त विभाग द्वारा सभापति के परामर्श से किया जायेगा। प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्ष होगी।

(1–ग) संयुक्त सचिव

मौलिक रूप से नियुक्त उप सचिवों में से 'योग्यता–सह–ज्येष्ठता' के आधार पर खण्ड (1–ख) के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि पात्र तथा उपयुक्त व्यक्ति पदोन्नति हेतु उपलब्ध न हो तो उक्त पद नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विधान सभा सचिवालय अथवा उत्तर प्रदेश सचिवालय के ऐसे अधिकारी, जो मौलिक रूप से उप सचिव का पद धारण करता हो, से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्ष होगी।

(1–घ) उप सचिव

खण्ड (1–घ) के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से मौलिक रूप से नियुक्त अनुसचिवों में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि पात्र तथा उपयुक्त व्यक्ति पदोन्नति हेतु उपलब्ध न हों तो उक्त पद नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विधान सभा सचिवालय अथवा उत्तर प्रदेश सचिवालय के ऐसे अधिकारी, जो मौलिक रूप से अनुसचिव का पद धारण करता हो, से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्ष होगी।

चयन समिति का गठन :–

(क) प्रमुख सचिव।	अध्यक्ष
(ख) अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का एक अधिकारी, जो विशेष सचिव की श्रेणी से नीचे का न हो। यदि अध्यक्ष, चयन समिति अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का हो तो विशेष सचिव की श्रेणी से अनिम्न एक ऐसा अधिकारी, जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का न हो, अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा।	सदस्य
(ग) अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट अन्य पिछड़े वर्गों का एक अधिकारी, जो विशेष सचिव की श्रेणी से नीचे का न हो। यदि अध्यक्ष, चयन समिति अन्य पिछड़े वर्गों का हो तो विशेष सचिव की श्रेणी से अनिम्न श्रेणी का एक ऐसा अधिकारी, जो अन्य पिछड़े वर्गों का न हो, अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा।	सदस्य

(ख) नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान खण्ड (2) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 **विद्यमान खण्ड**	स्तम्भ–2 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड**
(2) मार्शल– आयोग के माध्यम से चयन करके सीधी भर्ती द्वारा।	(2) मार्शल मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे डिप्टी मार्शलों, जो चयन वर्ष के प्रथम दिवस को कम से कम एक वर्ष की सेवा किये हों, में से योग्यता के आधार पर खण्ड (1–घ) के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा। यदि पात्र या उपयुक्त डिप्टी मार्शल उपलब्ध न हो तो उक्त पद खण्ड (1–घ) के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरा जायेगा।

(ग) खण्ड (2) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात्:–

(2–क) डिप्टी मार्शल–मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे सहायक मार्शलों, जो चयन वर्ष के प्रथम दिवस को कम से कम तीन वर्ष की सेवा किये हों, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर खण्ड (1–घ) के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

यदि पात्र या उपयुक्त सहायक मार्शल उपलब्ध न हों तो उक्त पद खण्ड (1–घ) के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरा जायेगा।

(2–ख) सहायक मार्शल–खण्ड (1–घ) के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से मौलिक रूप से नियुक्त वरिष्ठ सुरक्षा सहायक (पुरुष/महिला) में से, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, ज्येष्ठता के आधार पर, पदोन्नति द्वारा।

(2–ग) वरिष्ठ सुरक्षा सहायक– खण्ड (1–घ) के अधीन गठित चयन–समिति के माध्यम से, मौलिक रूप से नियुक्त सुरक्षा सहायक (पुरूष/महिला) में से, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर, पदोन्नति द्वारा।

(2–घ) सुरक्षा सहायक(पुरूष)–खण्ड (1–घ) के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। अभ्यर्थी के लिये माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश से इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान प्रदान किया जायेगा, जिनके पास सेना, नौ सेना ,वायुसेना, पुलिस,प्रांतीय सशस्त्र पुलिस (पी0ए0सी0), प्रान्तीय रक्षक दल (पी0आर0डी0), राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन0सी0सी0), टेरिटोरियल आर्मी अथवा होम गार्ड्स का अनुभव हो।

अभ्यर्थियों के पास निम्नलिखित न्यूनतम मानक होना आवश्यक है:–

ऊँचाई–1.68 मीटर

वजन–59 किलोग्राम

सीना–86 सेंटीमीटर (बिना फुलाये हुए)

91 सेंटीमीटर (फुलाकर)

(2–ङ) सुरक्षा सहायक (महिला)–खण्ड (1–घ) के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश से इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान प्रदान किया जायेगा, जिनके पास सेना, नौ सेना, वायुसेना, पुलिस, प्रांतीय सशस्त्र पुलिस (पी0ए0सी0), प्रान्तीय रक्षक दल(पी0आर0डी0), राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन0सी0सी0), टेरिटोरियल आर्मी अथवा होम गार्ड्स का अनुभव हो।

अभ्यर्थियों के पास निम्नलिखित न्यूनतम मानक होना आवश्यक है:-

ऊँचाई-(1) मैदानी क्षेत्र-1.52 मीटर

(2) पर्वतीय क्षेत्र-1.47 मीटर

वजन-45 से 58 किलोग्राम

(घ) नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये खण्ड (3) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 **विद्यमान खण्ड**	स्तम्भ-2 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड**
(3) **समिति अधिकारी**-आयोग के परामर्श से योग्यता के आधार पर चयन के सिद्धान्त के अनुसार सचिवालय के ऐसे व्यक्तियों से जो सचिवालय में अनुभाग अधिकारी का पद मौलिक रूप से धारण करते हों और जिनकी उस पद पर कम से कम 05 वर्ष की लगातार सेवा हो, जिसमें अस्थाई या स्थानापन्न रूप से की गयी सेवा भी सम्मिलित है, पदोन्नति द्वारा, अथवा यदि ऐसे अधिकारी उपलब्ध न हों या उपयुक्त न पाये जायें तो सभा सचिवालय अथवा राज्य सचिवालय के ऐसे व्यक्तियों में से जो मौलिक रूप से ऐसा पद धारण करते हों जो अनुभाग अधिकारी से निम्न स्तर का न हो और जिनकी उस पद पर कम से कम 05 वर्ष तक लगातार सेवा हो, जिसमें अस्थाई या स्थानापन्न रूप से की गयी सेवा भी सम्मिलित हो, नियुक्ति द्वारा।	(3) **अनुसचिव/अनुसचिव एवं समिति अधिकारी/अनुसचिव एवं विधायी अधिकारी**-सचिवालय के ऐसे मौलिक रूप से नियुक्त अनुभाग अधिकारियों में से, जिन्होंने इस रूप में कम से कम पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, खण्ड (1-घ) के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से, 'अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर' पदोन्नति द्वारा और जहां ऐसा कोई अधिकारी उपलब्ध न हो या उपयुक्त न पाया जाए, वहां किसी पद के ऐसे मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों जो विधान सभा सचिवालय या उत्तर प्रदेश सचिवालय के अनुभाग अधिकारी से अनिम्न हो और जो इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर लियें हों, में से प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(ङ) नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये खण्ड (4) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 **विद्यमान खण्ड**	स्तम्भ-2 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड**
(4) **अनुभाग अधिकारी**-आयोग के परामर्श से योग्यता के आधार पर चयन के सिद्धान्त के अनुसार सचिवालय के ऐसे व्यक्तियों में से जो कम से कम 10 वर्ष तक मौलिक रूप से प्रवर वर्ग सहायक का पद धारण किये हो, में से पदोन्नति द्वारा।	(4) **अनुभाग अधिकारी**-मौलिक रूप से नियुक्त सचिवालय के ऐसे समीक्षा अधिकारियों, जिन्होंने इस रूप में कम से कम पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से खंण्ड (1-घ) के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से, 'अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर' पदोन्नति द्वारा और जहां ऐसा कोई

स्तम्भ–1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
	समीक्षा अधिकारी उपलब्ध न हो या उपयुक्त न पाया जाए, वहां विधान सभा सचिवालय या उत्तर प्रदेश सचिवालय के ऐसे मौलिक रूप से नियुक्त समीक्षा अधिकारियों, जिन्होने इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(च) खण्ड (4) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात्:–

(4–क) सूचना अधिकारी–खण्ड (1–घ) के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(4–ख) व्यवस्थाधिकारी–खण्ड (1–घ) के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से, मौलिक रूप से नियुक्त समीक्षा अधिकारियों में से 'अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, ज्येष्ठता के आधार पर' पदोन्नति द्वारा।

(छ) नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये खण्ड (5) के स्थान पर, स्तम्भ–2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
निजी सचिव (प्रवरण श्रेणी)–आयोग के परामर्श से योग्यता के आधार पर चयन के सिद्धान्त के अनुसार ऐसे व्यक्तियों में से जो सचिवालय में निजी सचिव (ग्रेड–2) का पद मौलिक रूप से धारण करते हों।	निकाल दिया गया।

(ज) नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये खण्ड (6) के स्थान पर, स्तम्भ–2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(6) निजी सचिव (ग्रेड–2)–आयोग के परामर्श से योग्यता के आधार पर चयन के सिद्धान्त के अनुसार सचिवालय में कम से कम 10 वर्ष की सेवा के स्थायी वैयक्तिक सहायकों में से पदोन्नति द्वारा।	**(6) निजी सचिव श्रेणी–1**–मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे अपर निजी सचिवों में से, जिन्होंने इस रूप में कम से कम पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, 'अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर', खण्ड (1–घ) के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा। **(6–क) निजी सचिव श्रेणी–2**–सचिवालय के ऐसे मौलिक रूप से नियुक्त निजी सचिवों श्रेणी–1 में से 'अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, ज्येष्ठता के आधार पर', खण्ड (1–घ) के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

स्तम्भ–1 **विद्यमान खण्ड**	स्तम्भ–2 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड**
	प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसा कोई अधिकारी उपलब्ध न हो या उपयुक्त न पाया जाये तो विधान सभा सचिवालय या उत्तर प्रदेश सचिवालय के निजी सचिवों श्रेणी–1 में से खण्ड (1–घ) के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से प्रतिनियुक्ति द्वारा।
	(6–ख) निजी सचिव श्रेणी–3– सचिवालय के मौलिक रूप से नियुक्त निजी सचिवों श्रेणी–2 में से 'अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, ज्येष्ठता के आधार पर', खण्ड (1–घ) के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।
	प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसा कोई अधिकारी उपलब्ध न हो या उपयुक्त न पाया जाय तो विधान सभा सचिवालय या उत्तर प्रदेश सचिवालय के निजी सचिवों श्रेणी–2 में से खण्ड (1–घ) के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से प्रतिनियुक्ति द्वारा।
	(6–ग) निजी सचिव श्रेणी–4– सचिवालय के मौलिक रूप से नियुक्त निजी सचिवों श्रेणी–3 में से 'योग्यता के आधार पर', खण्ड (1–ख) के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।
	प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसा कोई अधिकारी उपलब्ध न हो या उपयुक्त न पाया जाय तो विधान सभा सचिवालय या उत्तर प्रदेश सचिवालय के निजी सचिवों श्रेणी–3 में से खण्ड (1–ख) के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से प्रतिनियुक्ति द्वारा।
	(6–घ) प्रधान निजी सचिव–सचिवालय के मौलिक रूप से नियुक्त निजी सचिवों श्रेणी–4 में से 'योग्यता के आधार पर', खण्ड (1–ख) के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा :
	प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसा कोई अधिकारी उपलब्ध न हो या उपयुक्त न पाया जाय तो विधान सभा सचिवालय या उत्तर प्रदेश सचिवालय के निजी सचिवों श्रेणी–4 में से खण्ड (1–ख) के अधीन गठिन चयन समिति के माध्यम से प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(झ) नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये खण्ड (7) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 **विद्यमान खण्ड**	स्तम्भ–2 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड**
(7) **मुख्य प्रतिवेदक**–आयोग के परामर्श से योग्यता के आधार पर चयन के सिद्धान्त के अनुसार ऐसे व्यक्तियों में से, जो सचिवालय में मौलिक रूप से उप मुख्य प्रतिवेदक, यदि कोई हो, अथवा कम से कम 05 वर्ष तक मौलिक रूप से वृत्त लेखक प्रवरण श्रेणी, का पद धारण करते हों, पदोन्नति द्वारा।	(7) **मुख्य प्रतिवेदक**–मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे उप मुख्य प्रतिवेदकों में से जिन्होंने इस रूप में कम से कम 02 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, खण्ड (1–घ) के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा; प्रतिबन्ध यह है कि यदि उप मुख्य प्रतिवेदक उपयुक्त न पाया जाए, तो उक्त पद, ऐसे मौलिक रूप से नियुक्त प्रतिवेदकों में से, जिन्होंने इस रूप में कम से कम दस वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, 'अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर' भरा जा सकता है। **(7–क) प्रमुख प्रतिवेदक**–सचिवालय के मौलिक रूप से नियुक्त मुख्य प्रतिवेदकों में से, 'योग्यता के आधार पर', खण्ड (1–ख) के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा। प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसा कोई अधिकारी उपलब्ध न हो या उपयुक्त न पाया जाये तो विधान सभा सचिवालय के मौलिक रूप से नियुक्त मुख्य प्रतिवेदकों में से खण्ड (1–ख) के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(ञ) नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये खण्ड (8) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 **विद्यमान खण्ड**	स्तम्भ–2 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड**
(8) **उप मुख्य प्रतिवेदक**–आयोग के परामर्श से योग्यता के आधार पर चयन के सिद्धान्त के अनुसार ऐसे व्यक्तियों में से, जो सचिवालय में मौलिक रूप से, (क) कम से कम पांच वर्ष तक स्थायी प्रतिवेदक का पद धारण कर चुके हों, या (ख) वृत्त लेखक प्रवरण श्रेणी का पद धारण करते हों, पदोन्नति द्वारा।	(8) **उप मुख्य प्रतिवेदक**–ऐसे मौलिक रूप से नियुक्त वृत्त लेखकों, जिन्होंने इस रूप में कम से कम दस वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से खण्ड (1–घ) के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से 'अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर', पदोन्नति द्वारा।

(ट) नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये खण्ड (9) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(9) वृत्त लेखक प्रवरण श्रेणी–आयोग के परामर्श से अनुपयुक्त को अस्वीकृत करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर चयन के सिद्धान्त के अनुसार सचिवालय में कम से कम 05 वर्ष की सेवा के स्थायी वृत्त लेखकों में से पदोन्नति द्वारा।	**(9) मुख्य संपादक**–सचिवालय में कार्यरत मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे संपादकों, जिन्होंने इस रूप में कम से कम 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से 'अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर', खण्ड (1–घ) के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

(ठ) खण्ड (9) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात्:–

(9–क) संपादक–खण्ड (1–घ) के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(9–ख) विशेष कार्याधिकारी, प्रकाशन–ऐसे मौलिक रूप से नियुक्त शोध अधिकारियों, जिन्होंने चयन वर्ष के प्रथम दिवस को कम से कम पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से खण्ड (1–घ) के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से 'अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर', पदोन्नति द्वारा।

यदि पात्र या उपयुक्त शोध अधिकारी उपलब्ध न हों तो उक्त पद खण्ड (1–घ) के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरा जायेगा।

(9–ग) शोध अधिकारी–ऐसे मौलिक रूप से नियुक्त शोध सहायकों, जिन्होंने चयन वर्ष के प्रथम दिवस को कम से कम पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से खण्ड (1–घ) के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से 'अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर', पदोन्नति द्वारा।

यदि पात्र या उपयुक्त शोध सहायक उपलब्ध न हों तो उक्त पद खण्ड (1–घ) के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरा जायेगा।

(9–घ) शोध सहायक–खण्ड (1–घ) के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(ड) नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये खण्ड (10) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(10) लेखाकार एवं कोषाध्यक्ष–अनुपयुक्त को अस्वीकृत करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर स्थायी अवर वर्ग सहायकों में से पदोन्नति द्वारा।	**(10) समीक्षा अधिकारी (लेखा)**– मौलिक रूप से नियुक्त सहायक समीक्षा अधिकारियों(लेखा) में से, 'अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर' खण्ड (1–घ) के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

(ढ) खण्ड (10) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे,अर्थात्:—

(10—क) समीक्षा अधिकारी (लेखा)—सभापति, द्वारा अवधारित प्रक्रिया के अनुसार उनके आदेशों के अधीन संचालित, प्रतियोगितात्मक परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा :

प्रतिबन्ध यह है कि समीक्षा अधिकारी (लेखा) के पदों पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी को निम्नलिखित अर्हतायें धारित करना आवश्यक है:—

(1) विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कामर्स में एकाउण्टेन्सी सहित स्नातक उपाधि अथवा राज्य सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता।

(2) राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में 'ओ' लेवल का प्रमाण पत्र।

(10—ख) अनुभाग अधिकारी (लेखा)—मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे समीक्षा अधिकारियों(लेखा), जिन्होंने 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से 'अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर' खण्ड (1—घ) के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

(ण) नीचे स्तम्भ—1 में दिये गये खण्ड (11) के स्थान पर स्तम्भ—2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:—

स्तम्भ—1 **विद्यमान खण्ड**	स्तम्भ—2 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड**
(11) **वृत्त लेखक**—आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा से सीधी भर्ती द्वारा।	(11) **वृत्त लेखक**—सभापति, द्वारा अवधारित प्रकिया के अनुसार उनके आदेशों के अधीन संचालित, प्रतियोगितात्मक परीक्षा के माध्यम से, खण्ड (1—घ) के अधीन गठित समिति के माध्यम से, सीधी भर्ती द्वारा।

(त) नीचे स्तम्भ—1 में दिये गये खण्ड (12) के स्थान पर स्तम्भ—2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:—

स्तम्भ—1 **विद्यमान खण्ड**	स्तम्भ—2 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड**
(12) प्रवर वर्ग सहायक—आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा से सीधी भर्ती द्वारा।	(12) **समीक्षा अधिकारी**—सभापति, द्वारा अवधारित प्रक्रिया के अनुसार उनके आदेशों के अधीन संचालित, प्रतियोगितात्मक परीक्षा के माध्यम से, खण्ड (1—घ) के अधीन गठित समिति के माध्यम से, सीधी भर्ती द्वारा।

(थ) नीचे स्तम्भ—1 में दिये गये खण्ड (13) के स्थान पर स्तम्भ—2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:—

स्तम्भ—1 **विद्यमान खण्ड**	स्तम्भ—2 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड**
(13) वैयक्तिक सहायक—आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा से सीधी भर्ती द्वारा।	**(13) अपर निजी सचिव**—सभापति, द्वारा अवधारित प्रक्रिया के अनुसार उनके आदेशों के अधीन संचालित, प्रतियोगितात्मक परीक्षा के माध्यम से, खण्ड (1—घ) के अधीन गठित समिति के माध्यम से, सीधी भर्ती द्वारा।

(द) नीचे स्तम्भ–1 दिये गये खण्ड (14) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(14) अवर वर्ग सहायक–आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा से सीधी भर्ती द्वारा।	**(14) सहायक समीक्षा अधिकारी** सभापति, द्वारा अवधारित प्रकिया के अनुसार उनके आदेशों के अधीन संचालित, प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से, खण्ड (1–घ) के अधीन गठित समिति के माध्यम से, सीधी भर्ती द्वारा।

(ध) खण्ड (14) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:–

(14–क) कम्प्यूटर सहायक–

(i) अस्सी प्रतिशत पद मृतक आश्रितों से भरे जायेंगे। यदि पर्याप्त मात्रा में मृतक आश्रित उपलब्ध न हों अथवा उपयुक्त न पाये जायें तो सभापति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अधीन सीधी भर्ती की जायेगी।

(ii) बीस प्रतिशत रिक्तियां पदोन्नति के माध्यम से, खण्ड (1–घ) के अधीन गठित चयन समिति द्वारा निम्नलिखित श्रोतों से भरी जायेंगी :–

(क) पन्द्रह प्रतिशत, मौलिक से रूप से नियुक्त ऐसे समूह 'घ' कर्मचारियों में से, जिन्होने माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश की हाईस्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो और जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

(ख) पाँच प्रतिशत मौलिक से रूप से नियुक्त ऐसे समूह 'घ' कर्मचारियों में से, जिन्होने माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो और जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

(न) नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये खण्ड (15) के स्थान पर, स्तम्भ–2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
टंकक–बिना आयोग के परामर्श से सीधी भर्ती द्वारा।	निकाल दिया गया।

(प) नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये खण्ड (16) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(16) वाहन चालक–बिना आयोग के परामर्श से सीधी भर्ती द्वारा।	**(16) वाहन चालक**–सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती, उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा नियमावली, 1993 (समय–समय पर यथा संशोधित) में निर्धारित शैक्षिक अर्हता तथा प्रक्रियाओं के अनुसार खण्ड (1–घ) के अधीन गठित चयन समिति द्वारा निम्नवत् की जायेगी:–

विद्यमान खण्ड	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
	(1) वाहन चालक ग्रेड –4: (एक) अस्सी प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा। (दो) बीस प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त समूह 'घ' के ऐसे कर्मचारियों में से जो भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पॉच वर्ष की सेवा पूर्ण कर लियें हों और यथास्थिति, भारी या हलके वाहन चलाने का तीन वर्ष से अन्यून अवधि का वैध ड्राइविंग लाइसेन्स रखते हों तथा किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था से ऑठवी कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण कर लिये हों, पदोन्नति द्वारा। प्रतिबन्ध यह है कि यदि पदोन्नतियों हेतु पोषक संवर्ग या पोषक संवर्ग में पात्र व्यक्ति उपलब्ध न हो तो ऐसी रिक्तियां खण्ड (1–घ) के अधीन, सीधी भर्ती के माध्यम से भरी जायेंगी।
	(2) वाहन चालक ग्रेड –3: मौलिक रूप से नियुक्त वाहन चालक ग्रेड–4 में से, जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में नौ वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।
	(3) वाहन चालक ग्रेड –2: मौलिक रूप से नियुक्त वाहन चालक ग्रेड–3 में से, जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को वाहन चालक ग्रेड–3 के पद पर छः वर्ष की मौलिक सेवा पूर्ण कर ली हो या भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को वाहन चालक ग्रेड–4 और वाहन चालक ग्रेड–3 के पद पर कुल मिलाकर पन्द्रह वर्ष की मौलिक सेवा पूर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।
	(4) वाहन चालक ग्रेड –1: मौलिक रूप से नियुक्त वाहन चालक ग्रेड–2 में से, जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को वाहन चालक ग्रेड–2 के पद पर तीन वर्ष की मौलिक सेवा पूर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।
	(5) वाहन चालक (विशेष ग्रेड): मौलिक रूप से नियुक्त वाहन चालक ग्रेड–1 में से, जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में एक वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

(फ) खण्ड (16) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:–

(16–क) साइक्लोस्टाइल **आपरेटर**–फोटोस्टेट मशीन चलाने का अनुभव रखने वाले मौलिक रूप से नियुक्त अनुसेवकों में से प्रमुख सचिव द्वारा गठित चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

(ब) नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये खण्ड (17) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 **विद्यमान खण्ड**	स्तम्भ–2 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड**
(17) दफ्तरी–बिना आयोग के परामर्श से अनुपयुक्त को अस्वीकृत करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर चपरासी तथा फर्राश में से पदोन्नति द्वारा।	**(17) दफ्तरी**–प्रमुख सचिव द्वारा गठित चयन समिति के माध्यम से मौलिक रूप से नियुक्त अनुसेवकों में से 'अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, ज्येष्ठता के आधार पर' पदोन्नति द्वारा।

(भ) नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये खण्ड (18) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 **विद्यमान खण्ड**	स्तम्भ–2 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड**
(18) जमादार–बिना आयोग के परामर्श से अनुपयुक्त को अस्वीकृत करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर चपरासी तथा फर्राश में से पदोन्नति द्वारा।	**(18) वरिष्ठ अनुसेवक**–प्रमुख सचिव द्वारा गठित चयन–समिति के माध्यम से मौलिक रूप से नियुक्त अनुसेवकों में से 'अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर', पदोन्नति द्वारा।

(म) नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये खण्ड (19) के स्थान पर, स्तम्भ– 2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 **विद्यमान खण्ड**	स्तम्भ–2 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड**
(19) **चपरासी**–सीधी भर्ती द्वारा।	(19) **अनुसेवक**–प्रमुख सचिव द्वारा गठित चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(य) नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये खण्ड (20) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 **विद्यमान खण्ड**	स्तम्भ–2 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड**
फर्राश–सीधी भर्ती द्वारा।	निकाल दिया गया।

(र) नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये खण्ड (21) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 **विद्यमान खण्ड**	स्तम्भ–2 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड**
(21) **सफाई मजदूर**–सीधी भर्ती द्वारा।	(21) **सफाई मजदूर**–प्रमुख सचिव द्वारा गठित चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

4–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये नियम 9 के स्थान पर, स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:– **नियम 9 का संशोधन**

स्तम्भ–1

विद्यमान खण्ड

9–आयु सीमा–सचिवालय के विभिन्न संवर्गों के पदों पर सीधी भर्ती के लिये, जिस वर्ष पद विज्ञापित हो, उस वर्ष की जुलाई के प्रथम दिन, अभ्यर्थी निम्नलिखित न्यूनतम आयु से कम अथवा अधिकतम आयु से अधिक का नहीं होगा–

	न्यूनतम	अधिकतम
(1) प्रमुख सचिव	35	55
(2) मार्शल	30	45
(3) वृत्त लेखक	22	35
(4) वैयक्तिक सहायक	21	30
(5) प्रवर वर्ग सहायक	21	27
(6) अवर वर्ग सहायक	21	27
7) टंकक	18	27
(8) मोटर ड्राइवर	18	40
(9) वर्ग 4 के अन्य कर्मचारी	18	30

स्तम्भ–2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड

9–आयु सीमा–सचिवालय के विभिन्न संवर्गों के पदों पर सीधी भर्ती के लिये, जिस वर्ष पद विज्ञापित किया जाय, उस वर्ष के जुलाई के प्रथम दिवस को, अभ्यर्थी नम्नलिखित न्यूनतम आयु से कम अथवा अधिकतम आयु से अधिक का नहीं होगा–

	न्यूनतम	अधिकतम
(1) प्रमुख सचिव	35	55
(2) मार्शल	30	45
(3) वृत्त लेखक	22	40
(4) अपर निजी सचिव	21	40
(5) समीक्षा अधिकारी	21	40
(6) समीक्षा अधिकारी (लेखा)	21	40
(7) सहायक समीक्षा अधिकारी	21	40
(8) निकाल दिया गया	–	–
(9) वाहन चालक	18	40
(10) श्रेणी 4 के अन्य कर्मचारी	18	40
(11) डिप्टी मार्शल	30	40
(12) सुरक्षा सहायक (पुरूष/महिला)	21	40
(13) सूचना अधिकारी	21	40
(14) सम्पादक	21	40
(15) विशेष कार्याधिकारी, प्रकाशन	30	40
(16) शोध अधिकारी	30	40
(17) शोध सहायक	21	40
(18) कम्प्यूटर सहायक	21	40

स्तम्भ–1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई अभ्यर्थी अपनी आयु तथा अन्य अर्हताओं के आधार पर नियमों के अन्तर्गत किसी वर्ष परीक्षा अथवा चयन में सम्मिलित होने का अधिकारी हो किन्तु उस वर्ष ऐसी परीक्षा या चयन न हो तो वह अपनी आयु के संबंध में आगामी दूसरी परीक्षा अथवा चयन में सम्मिलित होने का अधिकारी समझा जायेगाः अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि सभापति न्यायोचित व्यवहार के हित में अथवा जनहित में आवश्यक समझें तो किसी अभ्यर्थी अथवा अभ्यर्थी वर्ग के पक्ष में अधिकतम आयु सीमा को शिथिल कर सकते हैं: अग्रेतर प्रतिबन्ध यह भी है कि जिन पदों पर भर्ती आयोग के माध्यम से होनी है उनके संबंध में नियम शिथिल करने से पूर्व आयोग से परामर्श किया जायेगा।	प्रतिबन्ध यह है कि यदि अभ्यर्थी अपनी आयु तथा अन्य अर्हताओं के आधार पर नियमावली के अधीन किसी वर्ष में परीक्षा अथवा चयन में सम्मिलित होने का हकदार हो, किन्तु उस वर्ष में ऐसी परीक्षा या चयन न हो तो वह अपनी आयु के संबंध में आगामी अनुवर्ती परीक्षा अथवा चयन में सम्मिलित होने का हकदार समझा जायेगाः अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि सभापति निष्पक्ष व्यवहरण के हित में अथवा लोकहित में आवश्यक समझें तो किसी अभ्यर्थी अथवा अभ्यर्थी वर्ग के पक्ष में अधिकतम आयु सीमा को शिथिल कर सकते हैं: प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि प्रमुख सचिव के पद के लिये चयन हेतु किसी सेवानिवृत्त व्यक्ति पर विचार किया जाता है तो 55 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी।

स्तम्भ–1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
टिप्पणी :– अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन–जातियों के अभ्यर्थियों की आयु सीमा निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से पांच वर्ष अधिक होगी।	**टिप्पणी** :– अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा ऐसी अन्य श्रेणियों, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाय, के अभ्यर्थियों के मामले में विहित अधिकतम आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विर्निदिष्ट की जाय।

नियम 9–क का संशोधन

5–उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये नियम 9–क के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
9–क–प्रमुख सचिव की अधिवर्षता वही होगी जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विहित की जायः प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई सेवानिवृत्त अधिकारी प्रमुख सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है तो वह पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त होने तक अथवा पांच वर्ष की सेवा अवधि के लिये, जो भी पहले हो, पद धारण करता रहेगा।	**9–क**–सचिवालय के कर्मचारियों की अधिवर्षता वही होगी जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विहित की जायः प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई सेवानिवृत्त अधिकारी प्रमुख सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है तो वह पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त होने तक अथवा पांच वर्ष की सेवा अवधि के लिये, जो भी पहले हो, पद धारण करता रहेगा।

6–उक्त नियमावली में नियम 10 में उप नियम (3) के पश्चात निम्नलिखित उप नियम बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात्:– नियम 10 का संशोधन

(क) **(3–क) विशेष कार्याधिकारी, प्रकाशन हेतु**–भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से साहित्य में या किसी सामाजिक विषय में स्नातकोत्तर उपाधि, उच्च गुणवत्ता का प्रकाशित कार्य या पुस्तकालय में किसी उत्तरदायी पद पर कम से कम पॉच वर्ष तक कार्य करने का अनुभव धारित करना आवश्यक है;

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे व्यक्ति को अधिमान दिया जायेगा जिसके पास पुस्तकालय विज्ञान या विधि में उपाधि हो और जिसे विधायी प्रक्रिया एवं संसदीय कार्य का अनुभव हो।

(3–ख) शोध अधिकारी हेतु–भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से साहित्य में या किसी सामाजिक विषय में स्नातकोत्तर उपाधि और उच्च गुणवत्ता का प्रकाशित कार्य या पुस्तकालय में किसी उत्तरदायी पद पर कम से कम पॉच वर्ष तक कार्य करने का अनुभव धारित करना आवश्यक है;

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे व्यक्ति को अधिमान दिया जायेगा जिसके पास पुस्तकालय विज्ञान या विधि में उपाधि हो और जिसे विधायी प्रक्रिया एवं संसदीय कार्य का अनुभव हो।

(3–ग) सम्पादक हेतु–

(एक)–भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से साहित्य अथवा किसी सामाजिक विषय में स्नातकोत्तर उपाधि, धारित करना आवश्यक है।

(दो)–सम्पादन/अनुवाद/सारांश लेखन कार्य का कम से कम पॉच वर्ष का अनुभव अथवा किसी विधान मण्डल सचिवालय में उत्तरदायी पद पर पॉच वर्ष की सेवा हो।

(3–घ) सूचना अधिकारी हेतु–भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में हिन्दी के साथ स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि तथा पत्रकारिता में डिप्लोमा या पत्रकारिता में पॉच वर्ष का अनुभव धारित करना आवश्यक है;

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे व्यक्ति को अधिमान दिया जायेगा जिसने भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी संस्था से पत्रकारिता में स्नातक उपाधि प्राप्त की हो, उसे समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में लेख, पटकथा और फीचर लिखने का अनुभव हो तथा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी संस्था से संगीत/प्रकाश व्यवस्था/अभिनय/निर्देशन इत्यादि में डिप्लोमा प्राप्त किया हो;

प्रतिबन्ध यह और है कि कोई व्यक्ति, जिसने सूचना अधिकारी के पद पर उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तों) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2019 के प्रारम्भ होने के पूर्व कम से कम छः माह की सेवा की हो, इस नियमावली के प्रयोजनों के लिए अर्ह समझा जायेगा।

(ख) नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये उपनियम (4) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 **विद्यमान उपनियम**	स्तम्भ–2 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम**
(4) प्रवर वर्ग सहायक–भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक की उपाधि।	**(4) समीक्षा अधिकारी**–भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता।

(ग) नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये उपनियम (6) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 **विद्यमान उपनियम**	स्तम्भ–2 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम**
(6) वैयक्तिक सहायक–उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इन्टरमीडिएट परीक्षा तथा हिन्दी आशुलिपि में 120 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी आशुलिपि में 100 शब्द प्रति मिनट की गति।	**(6) अपर निजी सचिव–** (एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता। (दो) हिन्दी आशुलेखन और हिन्दी टंकण में क्रमशः न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट और 25 शब्द प्रति मिनट की गति होना आवश्यक है। (तीन) निम्नानुसार कम्प्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है:– नीलिट (पूर्व डी0ओ0ई0ए0सी0सी0 सोसाइटी) द्वारा संचालित कम्प्यूटिंग में सर्टिफिकेट कोर्स (सी0सी0सी0) के लिये निर्धारित पाठ्यक्रम अथवा इसके समकक्ष अर्हता।

(घ) उपनियम (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात्:–

(6–क) समीक्षा अधिकारी (लेखा)–

(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एकाउन्टेंसी सहित वाणिज्य में स्नातक उपाधि अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता।

(2) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में 'ओ' लेवल प्रमाण पत्र।

(6–ख) शोध सहायक–भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से साहित्य अथवा किसी सामाजिक विषय में स्नातकोत्तर उपाधि धारक हो एवं किसी शोध पुस्तकालय अथवा विधान मंडल पुस्तकालय में उत्तरदायी पद पर कम से कम तीन वर्ष शोध कार्य अथवा सेवा का अनुभव हो।

(ङ) नीचे स्तम्भ– 1 में दिये गये उपनियम (7) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 **विद्यमान उपनियम**	स्तम्भ–2 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम**
(7) अवर वर्ग सहायक–भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक की उपाधि :	**(7) सहायक समीक्षा अधिकारी–** (एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता।

स्तम्भ–1

विद्यमान उपनियम

प्रतिबन्ध यह है कि कम से कम हाई स्कूल उत्तीर्ण तथा इन नियमों के लागू होने के दिनांक के पूर्व से सचिवालय में अस्थाई अवर वर्ग सहायक के पद पर कार्य करने वाले व्यक्ति को अवर वर्ग सहायक के पद के लिये विभागीय अभ्यर्थी के रूप में शैक्षिक दृष्टि से योग्य पात्र समझा जायेगा, यदि वह इस पद के लिये अन्यथा योग्य पात्र हों।

स्तम्भ–2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम

(दो) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर विज्ञान में स्नातक की उपाधि अथवा डिप्लोमा।

(तीन) नीलिट (पूर्व डी.ओ.इ.ए.सी.सी सोसाइटी) द्वारा प्रदत्त 'ओ' लेवल प्रमाण पत्र अथवा उसके समकक्ष कोई अर्हता।

(चार) कम्प्यूटर पर हिंदी टंकण में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति।

प्रतिबन्ध यह है कि अंग्रेजी टंकण का ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जायेगा।

(च) उप नियम, (7) के पश्चात निम्नलिखित उप नियम बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात्:–

(7–क) कम्प्यूटर सहायक हेतु–

किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा के साथ इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है अथवा डोयक या नीलिट से 'ओ' लेवल डिप्लोमा के साथ इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

(7–ख) वाहन चालक हेतु–

भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को अन्यून तीन वर्ष की अवधि तक के लिये यथास्थिति भारी या हल्के वाहन चलाने का विधिमान्य लाइसेंस होना आवश्यक है और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कक्षा–8 की परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

(7–ग) अनुसेवक तथा अन्य चतुर्थ श्रेणी के पदों हेतु–

शैक्षिक अर्हतायें वही होंगी जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विहित की जाय।

नियम 16 का संशोधन

7–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये नियम 16 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1

विद्यमान नियम

(16) रिक्त पदों की संख्या–नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती किये जाने वाले वर्ष में सचिव, मार्शल, वृत्त लेखक, प्रवर वर्ग सहायक, वैयक्तिक सहायक या अवर वर्ग सहायक जैसी भी स्थिति हो के रिक्त अथवा रिक्त होने वाले पदों की संख्या निश्चित करके आयोग को सूचित करेंगे:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी वर्ष में प्रवर वर्ग सहायकों या अवर वर्ग सहायकों के संवर्ग में रिक्त पदों या रिक्त होने वाले पदों की संख्या दो से कम हो तो वह रिक्ति आयोग को सूचित करने के हेतु अनुवर्ती वर्ष में अग्रेनीत की जायेगी।

स्तम्भ–2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

(16) रिक्त पदों की संख्या–प्रमुख सचिव 'भर्ती के वर्ष' में सचिवालय में रिक्त या सम्भावित रूप से रिक्त होने वाले पदों की संख्या को अभिनिश्चित करेंगे और तत् सम्बन्ध में सभापति को सूचित करेंगे।

8–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये नियम 17 के स्थान पर, स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात्:– नियम 17 का संशोधन

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(17) वृत्त लेखक के रिक्त पदों में आरक्षण–	**(17) वृत्त लेखकों के पदों में रिक्तियों का आरक्षण–**
(1) नियुक्ति प्राधिकारी के निर्णय के अनुसार प्रत्येक वर्ष वृत्त लेखक के रिक्त पदों की कुल संख्या के एक तिहाई से अनधिक रिक्त पद उस वर्ष उन व्यक्तियों के लिये आरक्षित होंगे, जिनकी आयोग द्वारा आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने के लिये नियत दिनांक को न्यूनतम एक वर्ष की अस्थायी सेवा उक्त पर हो गयी हो तथा जिनका कार्य संतोषजनक प्रमाणित किया जाये:	(1) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा यथा विनिश्चित प्रत्येक वर्ष वृत्त लेखकों के रिक्त पदों की कुल संख्या के एक–तिहाई से अनधिक संख्या में रिक्तियां उस वर्ष उन व्यक्तियों के लिये आरक्षित होंगी, जो आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिये चयन समिति द्वारा नियत दिनांक को उक्त पद पर न्यूनतम एक वर्ष की अवधि की अस्थायी सेवा पूर्ण कर लिये हों तथा जिनका कार्य संतोषजनक रूप में प्रमाणित कर दिया गया हो:
प्रतिबन्ध यह है कि उनकी आयु भर्ती किये जाने वाले वर्ष की जुलाई के प्रथम दिन 40 वर्ष से अनधिक हो।	प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे व्यक्तियों की आयु, भर्ती के वर्ष की जुलाई के प्रथम दिवस को 40 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
(2) ऐसे आरक्षित रिक्त पदों की पूर्ति आयोग द्वारा नियम–6(11) के अन्तर्गत आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के फल के आधार पर की जायेगी, यदि अभ्यर्थी उस स्तर तक के हों जो आयोग उपयुक्त समझे।	(2) इस नियम के अधीन आरक्षित रिक्तियॉं, नियम 6 के खण्ड (1–घ) के अधीन संचालित प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरी जायेंगी;
	प्रतिबन्ध यह है कि अभ्यर्थी उस मानक तक के हों, जैसा कि युक्तियुक्त समझा जाये।

9–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये नियम 18 के स्थान पर, स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात्:– नियम 18 का संशोधन

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(18) वैयक्तिक सहायक के रिक्त पदों में आरक्षण–	**(18) अपर निजी सचिवों के पदों की रिक्तियों का आरक्षण–**
(1) नियुक्ति प्राधिकारी के निर्णय के अनुसार प्रत्येक वर्ष वैयक्तिक सहायक के रिक्त पदों की कुल संख्या के एक तिहाई से अनधिक रिक्त पद उस वर्ष उन व्यक्तियों के लिये आरक्षित होंगे, जिनकी आयोग द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिये नियत दिनॉक को न्यूनतम एक वर्ष की अस्थायी सेवा उक्त पद पर हो तथा जिनका कार्य संतोष जनक प्रमाणित किया जाय:	(1) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा यथा विनिश्चित प्रत्येक वर्ष अपर निजी सचिवों के पदों की रिक्तियों की कुल संख्या के अनधिक एक–तिहाई संख्या में रिक्तिया, उस वर्ष में ऐसे व्यक्तियों के लिये आरक्षित की जायेंगी जो आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने के लिये चयन समिति द्वारा नियत दिनांक को उक्त पद पर न्यूनतम एक वर्ष के लिये अस्थायी सेवा पूर्ण कर लिये हों तथा जिनका कार्य संतोषजनक रूप में प्रमाणित किया गया हो:
प्रतिबन्ध यह है कि उनकी आयु भर्ती किये जाने वाले वर्ष की जुलाई के प्रथम दिन 35 वर्ष से अनधिक हो।	प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे व्यक्तियों की आयु, भर्ती वर्ष के जुलाई के प्रथम दिवस को 40 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

स्तम्भ–1

विद्यमान नियम

(2) ऐसे आरक्षित रिक्त पदों की पूर्ति आयोग द्वारा नियम 6 (13) के अन्तर्गत आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर की जायेगी, यदि अभ्यर्थी उक्त स्तर तक के हो जो आयोग उपयुक्त समझे।

स्तम्भ–2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

(2) ऐसी आरक्षित रिक्तियां नियम 6 के खण्ड (1–घ) के अधीन चयन समिति द्वारा संचालित प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरी जायेंगी:

प्रतिबन्ध यह है कि अभ्यर्थी उस मानक तक के हों, जैसा कि युक्तियुक्त समझा जाय।

नियम 19 का संशोधन

10–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये नियम 19 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1

विद्यमान नियम

(19) प्रवर वर्ग सहायक के रिक्त पदों में आरक्षण–

(1) जहां रिक्तियों की कुल संख्या किसी वर्ष में एक से अधिक हो, वहां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्णीत ऐसी संख्या जो रिक्तियों की कुल संख्या के आधे से अनधिक हो, और जहां रिक्ति की संख्या केवल एक हो, वहां ऐसी रिक्ति सचिवालय के ऐसे स्थायी अवर वर्ग सहायकों तथा लेखाकार एवं कोषाध्यक्षों तथा इन पदों पर स्थायी नियुक्ति के लिये नियमों के अनुसार अनुमोदित ऐसे अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित, होंगे, जो परीक्षा वर्ष की पहली जुलाई को सचिवालय में अस्थायी या स्थानापन्न सेवा को सम्मिलित करके न्यूनतम तीन वर्ष की लगातार सेवा अवधि पूरी कर चुके हों और जिनका कार्य संतोष जनक प्रमाणित किया जाय।

(2) ऐसे आरक्षित रिक्त पदों की पूर्ति नियम 6 (12) के अधीन आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा फल के आधार पर की जायेगी यदि अभ्यर्थी उस स्तर तक के हों जो आयोग उपयुक्त समझे।

(3) उपनियम (2) के अधीन चयन किये हुये व्यक्तियों तथा नियम 6(12) के अन्तर्गत आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में सीधी भर्ती के लिये चयन किये गये अभ्यर्थियों की योग्यता के क्रम में पृथक

स्तम्भ–2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

(19) समीक्षा अधिकारी के पदों में रिक्तियों का आरक्षण–

(1) नियम–6 के खण्ड (1–घ) के अधीन गठित चयन समिति द्वारा पचास प्रतिशत सीधी भर्ती के माध्यम से।

(2) पचास प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त सहायक समीक्षा अधिकारियों में से, जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पॉच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

(3) यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां दोनों, सीधी भर्ती और पदोन्नति द्वारा की जाती हैं तो एक सम्मिलित चयन सूची, सुसंगत सूचियों से अभ्यर्थियों के नामों को लेकर इस रीति से तैयार की जायेगी कि

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
सूचियां बनायी जायेगीं तथा उनमें परस्पर ज्येष्ठता निर्धारित करने के लिये दोनों सूचियों को इस प्रकार आपस में मिलाया जायेगा कि प्रथम स्थान पर आरक्षित पदों के लिये चयन किये गये विभागीय अभ्यर्थियों में प्रथम व्यक्ति होगा और उसके बाद द्वितीय स्थान पर सीधी भर्ती के लिये चयन किये गये अभ्यर्थियों में का प्रथम व्यक्ति होगा। इसी क्रम से दोनों सूचियों को सम्मिलित करके एक ज्येष्ठता सूची तैयार की जायेगी।	विहित प्रतिशत अनुरक्षित रहे। उक्त सूची में प्रथम नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।
	(4) किसी श्रेणी के पद पर, मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता, समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

नियम 20 का संशोधन

11–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये नियम 20 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(20) अवर वर्ग सहायक के रिक्त पदों में आरक्षण–	**(20) सहायक समीक्षा अधिकारियों के पदों में रिक्तियों का आरक्षण–**
(1) नियुक्ति प्राधिकारी के निर्णय के अनुसार प्रत्येक वर्ष अवर वर्ग सहायक के रिक्त पदों की कुल संख्या के आधे से अनधिक रिक्त पद उस वर्ष उन व्यक्तियों के लिये आरक्षित होगें जिनकी आयोग द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिये नियत दिनॉक को न्यूनतन तीन वर्ष की अस्थायी सेवा उक्त पद पर हो तथा जिनका कार्य संतोषजनक प्रमाणित किया जाय: प्रतिबन्ध यह है कि उनकी आयु भर्ती किये जाने वाले वर्ष की जुलाई के प्रथम दिन 35 वर्ष से अनधिक हो।	(1) पचास प्रतिशत, नियम 6 के खण्ड (1–घ) के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।
(2) ऐसे आरक्षित रिक्त पदों की पूर्ति आयोग द्वारा नियम 6(14) के अन्तर्गत आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के फल के आधार पर की जायेगी, यदि अभ्यर्थी उस स्तर तक के हों जो आयोग उपयुक्त समझे।	(2) पचास प्रतिशत, मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे कम्प्यूटर सहायकों में से, जिन्होंने इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

12–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये नियम 21 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:– नियम 21 का संशोधन

स्तम्भ–1

विद्यमान नियम

(21) चयन द्वारा सीधी भर्ती–

(1) सचिव या मार्शल के पद के रिक्त होने पर यथाशीघ्र नियुक्ति प्राधिकारी आयोग को रिक्त पदों की सूचना देगा तथा आयोग से आवश्यक विज्ञापन द्वारा आवेदन–पत्र आमंत्रित कर उपयुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों, का चयन करने को कहेगा।

(2) आयोग, पद विशेष के लिये नियत अर्हताओं के अनुसार, प्रथम दृष्टया पात्र अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिये बुलायेगा।

(3) ऐसी साक्षात्कार के समय आयोग की सहायता के लिये सभापति द्वारा नाम– निर्देशित सचिवालय या सभा सचिवालय का अथवा संसद या किसी अन्य राज्य के विधान मण्डल के सदन के सचिवालय का या राज्य सरकार का कोई अधिकारी भी उपस्थित रहेगा।

(4) साक्षात्कार के पश्चात् आयोग यथाशीघ्र नियुक्ति प्राधिकारी के पास योग्यता के आधार पर चयन किये गये उतने नामों की सूची भेजेगा जो रिक्त पदों की संख्या के दूने हों।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसी सूची में से क्रमानुसार अभ्यर्थियों का चयन करेगा यदि वह संतुष्ट हो कि वे अन्य दृष्टियों से भी अर्ह है।

स्तम्भ–2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

(21) रिक्तियों का अवधारण तथा सीधी भर्ती की प्रक्रिया–

(1) नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती वर्ष के प्रक्रम के दौरान सीधी भर्ती के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या, जो भर्ती के समय यथा प्रवृत्त शासनादेशों के अनुसार हो, अवधारित करेगा।

(2) सीधी भर्ती के लिये विज्ञापन, प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जायेगा।

(3) प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुज्ञा के लिये आवेदन, नियम 6 के खण्ड (1–घ) में निर्दिष्ट चयन समिति द्वारा विज्ञापन में प्रकाशित प्रपत्र पर आमंत्रित किया जायेगा।

(4) चयन समिति यथास्थिति लिखित परीक्षा तथा/अथवा साक्षात्कार हेतु ऐसे अभ्यर्थियों को आमंत्रित करेगी जो प्रथमदृष्ट्या पद/पदों के लिये विहित अर्हताओं के अनुसार पात्र हों।

(5) यथास्थिति लिखित परीक्षा तथा/अथवा साक्षात्कार के परिणामों के प्राप्त हो जाने तथा उन्हें सारणीबद्ध किये जाने के पश्चात चयन समिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये, यथास्थिति लिखित परीक्षा तथा/अथवा साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंको द्वारा यथा प्रकटित योग्यता क्रम में अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगा तथा उतनी संख्या में अभ्यर्थियों की संस्तुति करेगा जितना वह नियुक्ति हेतु उचित समझे। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करें तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा। चयन समिति, सूची, नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

स्तम्भ–1
विद्यमान नियम

स्तम्भ–2
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

(6) समस्त अपेक्षाओं को पूरा करने के पश्चात, नियुक्ति प्राधिकारी, उसी कम में अभ्यर्थियों के नामों, जैसा कि चयन समिति द्वारा तैयार की गयी सूची/सूचियों में विद्यमान हों, को ले कर नियुक्तियां करेगा।

नियम 22 का संशोधन

13–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये नियम 22 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1
विद्यमान नियम

(22) परीक्षा–

(1) आयोग, सभापति के परामर्श से, इन नियमों के अन्तर्गत सीधी भर्ती के लिये आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के पाठ्यक्रम एवं नियम बनायेगा।

(2) जब तक कि आयोग द्वारा प्रदत्त प्रवेश–पत्र नहीं होगा कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा में प्रवेश नहीं प्राप्त कर सकेगा।

स्तम्भ–2
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

(22) परीक्षा–

(1) इस नियमावली के अधीन सीधी भर्ती के लिये प्रतियोगिता परीक्षाओं के पाठ्यक्रम एवं नियम पृथक से सभापति के अनुमोदन से बनाये जायेंगे।

(2) सभापति किसी वाह्य अभिकरण, यदि अपेक्षित हो, को सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया या उसके आंशिक भाग को संचालित करने के लिये प्राधिकृत कर सकते हैं।

(3) सभापति द्वारा, प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में चयन किये जाने का विनिश्चय किये जाने की स्थिति में चयन समिति, नियम–6 के खण्ड (1–घ) के अनुसार गठित की जायेगी।

नियम 23 का संशोधन

14–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये नियम 23 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1
विद्यमान नियम

(23) परीक्षाफलों के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन–

(1) आयोग प्रतियोगिता परीक्षाओं के प्रत्येक अभ्यर्थी को दिये गये सम्पूर्ण अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों की एक योग्यता सूची तैयार करेगा और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेगा। यदि कुछ अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंक एक समान हों तो आयोग ऐसे अभ्यर्थियों के मामलों की स्वयं परीक्षा करेगा और उनके नाम, उनकी आयु, उनके द्वारा विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों तथा परीक्षा के विषयों की पारस्परिक महत्ता का यथोचित ध्यान रखते हुए योग्यता के आधार पर व्यवस्थित करेगा। नियुक्ति प्राधिकारी ऐसी योग्यता सूची में से क्रमानुसार अभ्यर्थियों का चयन करेगा, यदि वह संतुष्ट हो कि वे अन्य दृष्टियों से भी अर्ह हैं।

स्तम्भ–2
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

(23) परीक्षाफल के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन–

(1) यथास्थिति लिखित परीक्षा तथा/अथवा साक्षात्कार का परिणाम प्राप्त हो जाने तथा सारणीबद्ध किये जाने के पश्चात चयन समिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों का सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये, यथास्थिति लिखित परीक्षा तथा/अथवा साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों द्वारा यथा प्रकटित योग्यता कम में अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगा तथा उतनी संख्या में अभ्यर्थियों की संस्तुति करेगा जितना वह नियुक्ति हेतु उचित समझे। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करें तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा। चयन समिति, सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(2) नियुक्ति प्राधिकारी किसी अभ्यर्थी की राष्ट्रीयता आयु चरित्र तथा आचरण से सम्बद्ध अर्हताओं के लिये ऐसी जाँच कर सकेगा जिसे आवश्यक समझे और यदि उसके मत में ऐसी जॉच के परिणाम उनमें से किसी के सम्बन्ध में असन्तोषजनक हैं, तो ऐसे अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित कर देगा। यदि इस प्रकार कोई अभ्यर्थी अनर्ह हो जाता है तो नियुक्ति प्राधिकारी यह निश्चय करेगा कि प्रवीणता सूची में उसके बाद का निकटतम दूसरा अभ्यर्थी, जो अन्यथा अर्ह हो का चयन किया जाय अथवा नहीं।	(2) समस्त अपेक्षाओं को पूरा करने के पश्चात, नियुक्ति प्राधिकारी, उसी कम में जैसा चयन समिति द्वारा तैयार की गयी सूची/सूचियों में विद्यमान हों, के नामों को लेकर नियुक्तियां करेगा।

15–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये नियम 24 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:– नियम 24 का संशोधन

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(24) शुल्क– प्रत्येक अभ्यर्थी आवेदन–पत्र, साक्षात्कार अथवा परीक्षा के लिये ऐसा शुल्क आयोग को देगा जो समय–समय पर राज्यपाल द्वारा आयोग के परामर्श से नियत किया जाय। साधारणतया इन शुल्कों को वापस करने का कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा, और न ही भविष्य में होने वाली किसी परीक्षा अथवा चयन के लिये ऐसा शुल्क जमा किया जायेगा।	**(24) शुल्क–** प्रत्येक अभ्यर्थी को आवेदन–पत्र, साक्षात्कार अथवा परीक्षा के लिये ऐसे शुल्क का संदाय करना होगा जैसा कि समय–समय पर सभापति द्वारा नियत किया जाय। सामान्यतः ऐसे शुल्कों के प्रतिदाय का कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा और न ही भविष्य में आयोजित की जाने वाली किसी परीक्षा अथवा चयन के लिये ऐसी शुल्कों का समायोजन किया जायेगा।

16–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये नियम 25 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:– नियम 25 का संशोधन

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(25) आवेदन पत्र– इन नियमों के अन्तर्गत प्रतियोगिता परीक्षाओं अथवा चयन द्वारा आयोग के परामर्श से भर्ती के लिये प्रत्येक आवेदन–पत्र आयोग द्वारा नियत प्रपत्र में भेजना होगा जो आयोग के सचिव से प्राप्त किया जा सकेगा।	**(25) आवेदन पत्र–** इस नियमावली के अधीन चयन के लिये प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भर्ती हेतु प्रत्येक आवेदन पत्र, नियुक्ति प्राधिकारी को, सम्बन्धित चयन समिति के आदेश द्वारा अवधारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया जायेगा।

17–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये नियम 27 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:– नियम 27 का संशोधन

स्तम्भ–1

विद्यमान नियम

(27) समिति अधिकारी, अनुभाग अधिकारी आदि के पद पर भर्ती की प्रक्रिया–

(1) नियुक्ति प्राधिकारी यथास्थिति समिति अधिकारी, अनुभाग अधिकारी, निजी सचिव (प्रवरण श्रेणी), निजी सचिव (ग्रेड–2), मुख्य प्रतिवेदक या उप मुख्य प्रतिवेदक के पद के लिये नियम 6 तथा 10 के अधीन पात्र अभ्यर्थियों में से ज्येष्ठतम पात्र अभ्यर्थियों की एक सूची, जो पात्रता सूची कही जायेगी तैयार करेगा, जिसमें, यथासम्भव, निम्नलिखित अनुपात में नाम दिये जायेगें:

1 से 5 रिक्तियों के लिये	रिक्तियों की संख्या का पांच गुना किन्तु कम से कम 15
6 से 12 रिक्तियों के लिये	रिक्तियों की संख्या का चार गुना किन्तु कम से कम 25
12 रिक्तियों से अधिक के लिये	रिक्तियों की संख्या का तीन गुना किन्तु कम से कम 50

प्रतिबन्ध यह है कि यदि भर्ती ऐसी रिक्तियों के लिये, जो भर्ती के एक वर्ष से अधिक अवधि के दौरान हुई हो, की जानी हो तो प्रत्येक ऐसे वर्ष के सम्बन्ध में पृथक पात्रता सूची तैयार की जायेगी। उस दशा में भर्ती के द्वितीय तथा अनुवर्ती वर्षो के लिये पात्रता सूची तैयार करते समय पात्रता सूची में सम्मिलित किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या इस प्रकार रखी जायेगी:–

(क) **द्वितीय वर्ष के निमित्त**–उक्त अनुपात के अनुसार संख्या और प्रथम वर्ष के निमित्त रिक्तियों की संख्या का योग।

(ख) **तृतीय वर्ष के निमित्त**–उक्त अनुपात के अनुसार संख्या और प्रथम तथा द्वितीय वर्ष के निमित्त रिक्तियों की संख्या का योग, और इसी प्रकार आगे भी:

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि जिन अभ्यर्थियों को प्रथम दृष्टया पदोन्नति के लिये उपयुक्त न समझा जाय, उनकी गणना उक्त अनुपात के निमित्त नहीं की जायेगी और उनके नाम के सामने उनके सम्बन्ध में इस प्रकार विचार न किये जाने के आशय की एक टिप्पणी लिख दी जायेगी।

स्तम्भ–2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

(27) चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया–

(1) पदोन्नति द्वारा भर्ती यथास्थिति नियम 6 के खण्ड (1–क) या खण्ड (1–ख) अथवा खण्ड (1–घ) के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से की जायेगी।

स्तम्भ—1 विद्यमान नियम	स्तम्भ—2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
स्पष्टीकरण—1—''रिक्तियों की संख्या'' का तात्पर्य ऐसी मौलिक, अस्थायी या स्थानापन्न रिक्तियों की कुल संख्या से है जो सूची ''ख'' के अभ्यर्थियों के मौलिक रिक्तियों के प्रति सविलीन किये जाने की सम्भावना पर विचार करने के पश्चात भर्ती के वर्ष में हुई हो। **स्पष्टीकरण—2**— (1) सभी प्रकार की रिक्तियों को समाविष्ट करने के लिये पात्रता की एकल सूची तैयार की जायेगी। (2) नियुक्ति प्राधिकारी पात्रता की सीमा में आने वाले समस्त व्यक्तियों की पदक्रम सूची तथा पात्रता की सूची या सूचियां और उसमें या उनमें सम्मिलित अभ्यर्थियों की चरित्र पंजिया आयोग को प्रेषित करेगा और उसे विभिन्न प्रकार की रिक्तियों की संख्या भी सूचित करेगा जिन पर सूची या सूचियां तैयार करने के प्रयोजन से विचार किया गया हो। (3) यदि किसी मामले में आयोग को यह प्रतीत हो कि उप नियम (2) के अधीन उसे प्राप्त सूची या सूचियों में सम्मिलित नामों में से अपेक्षित संख्या में उपयुक्त अभ्यर्थी प्राप्त न हो सकेगें तो वह नियुक्ति प्राधिकारी से उतनी अधिक संख्या में ज्येष्ठता अथवा सभी पात्र अभ्यर्थियों के नाम और चरित्र पंजियां उसमें सम्मिलित करने के लिये कह सकता है जिन्हें वह उचित समझे, और नियुक्ति प्राधिकारी तद्नुसार उपनियम(1) में दी हुई किसी बात के होते हुये भी, उक्त सूची या सूचियों को पुनरीक्षित करेगा। (4) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एक चयन समिति संघटित की जायेगी जिसमें निम्नलिखित होंगे:— (क) आयोग का अध्यक्ष या उसके द्वारा नामांकित अन्य सदस्य, जो समिति का अध्यक्ष होगा। (ख) प्रमुख सचिव, विधान सभा तथा (ग) प्रमुख सचिव, विधान परिषद। (5)(क) नियुक्ति प्राधिकारी आयोग के परामर्श से चयन के लिये कोई दिनॉक निश्चित करेगा: प्रतिबन्ध यह है कि चयन कार्य एक या उससे अधिक दिनों तक किया जा सकता है।	

स्तम्भ–1

विद्यमान नियम

स्तम्भ–2

एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम

(ख) यदि आयोग या नियुक्ति प्राधिकारी यह आवश्यक समझे कि पात्रता की सूची या सूचियों में समाविष्ट समस्त या किसी भी अभ्यर्थी का साक्षात्कार चयन समिति द्वारा किया जाना चाहिए तो नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति ऐसे अभ्यर्थियों या अभ्यर्थी को उक्त प्रयोजन के लिये उपयुक्त दिनॉक या दिनॉकों पर बुलायेगा।

(ग) चयन समिति प्रत्येक मामले में अभ्यर्थियों की चरित्र पंजियों पर विचार करेगी और किसी अन्य बात पर भी विचार कर सकती है, जो उसकी राय में संगत हो।

(6) (क) चयन समिति योग्यता के अनुसार निम्नलिखित रूप से दो सूचियॉ तैयार करेगी, अर्थात्:–

(1) सूची क–जिसमें उपनियम (2) के अधीन आयोग को सूचित की गयी स्थायी रिक्तियों के प्रति मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने के लिए सिफारिश किये गये अभ्यर्थियों के नाम होगें।

(2) सूची ख–जिसमें उपनियम (2) के अधीन आयोग को सूचित की गयी अस्थायी या स्थानापन्न नियुक्तियों के लिये सिफारिश किये गये अभ्यर्थियों के नाम तथा ऐसे अभ्यर्थियों के नाम, यदि कोई हों, होगें जो उपनियम (9) के खण्ड (ख) के अनुसार किसी विचाराधीन सूची ख पर पुर्नविचार करने पर अग्रेनीत होः

प्रतिबन्ध यह है कि यदि भर्ती ऐसी रिक्तियों के लिये जो भर्ती के एक वर्ष से अधिक अवधि के दौरान हुई हो, की जाय जो प्रत्येक ऐसे वर्ष, के सम्बन्ध में चयन उस वर्ष के लिये तैयार की गयी पात्रता सूची से किया जायेगा। ऐसी दशा में, किसी वर्ष की रिक्तियों के प्रति चुने गये अभ्यर्थियों के नाम उसके बाद के वर्ष या वर्षो की पात्रता सूची या सूचियों में से, द्वितीय और अनुवर्ती वर्षो की पात्रता सूचियों से चयन करने के पूर्व निकाल दिये जायेगें।

(ख) खण्ड (क) में किसी बात होते हुए भी उस दशा में सूची (क) को तैयार करने की आवश्यकता नहीं है जब स्थायी रिक्तियों की संख्या सूची "ख" से स्थायी रिक्तियों में लिये जाने वाले शेष अभ्यर्थियों की संख्या से अधिक न हो।

(7) आयोग चयन समिति की सिफारिशों पर विचार करेगा और तत्पश्चात् अनुमोदित सूची "क" तथा "ख" की नियुक्ति प्राधिकारी को भेजेगा।

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(8) उपनियम (9) के खण्ड (क) के उपबन्धों तथा खण्ड (ख) के अधीन रहते हुये नियुक्ति प्राधिकारी ज्येष्ठता क्रम से सूची "क" तथा "ख" में से प्रत्येक को फिर से क्रमबद्ध करेगा। (9)(क) सूची 'क' में समाविष्ट अभ्यर्थियों के नाम, जिनके लिये भर्ती के वर्ष के दौरान स्थायी रिक्तियाँ उपलब्ध नहीं हो सकती, वर्ष के अन्त मे सूची 'ख' में सबसे ऊपर उसी क्रम में स्थानान्तरित कर दिये जायेंगे जिस क्रम में उप नियम (8) के अधीन क्रमबद्ध सूची 'क' में उनके नाम आये हों। (ख) सूची 'ख' में समाविष्ट ऐसे अभ्यर्थियों के नामों पर, जिनके लिये वर्ष के दौरान रिक्तियाँ उपलब्ध नहीं हो सकती, प्रत्येक आगामी चयन के समय पुनर्विचार किया जायेगा और यदि भर्ती के आगामी वर्ष के लिये संघटित चयन समिति का यह विचार हो कि पूर्ववर्ती चयन के उपरान्त किसी अभ्यर्थी का कार्य या आचरण उसे उक्त सूची से हटाने का औचित्य प्रदान कर सकें तो वह उस सूची से उसका नाम हटा सकती है:– प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे अभ्यर्थी, जिनका चयन सूची "ख" के लिये पहली बार हुआ है उन अभ्यर्थियों के नीचे रखे जायेगें जो उस सूची में पहले से ही हों। (10) (क) सूची 'क' में समाविष्ट ऐसे अभ्यर्थी स्थायी रिक्तियों के प्रति उसी क्रम में नियुक्त किये जायेंगे जिस क्रम में उपनियम (8) के अधीन फिर से क्रम सूची में उनके नाम आयें हों। (ख) सूची 'क' में समाविष्ट ऐसे अभ्यर्थी जिनके लिये स्थायी रिक्तियाँ तत्काल उपलब्ध न हों, सूची (ख) में समाविष्ट अभ्यर्थी के अधिमान में अस्थायी या स्थानापन्न रिक्तियों के प्रति उक्त क्रम में, नियुक्त किये जायेगें। (11) उपनियम (10) के खण्ड (ख) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, सूची 'ख' में समाविष्ट अभ्यर्थी, अस्थायी या स्थानापन्न रिक्तियों के प्रति तथा सूची 'क' के निःशेष हो जाने पर स्थायी रिक्तियों के प्रति भी उसी क्रम में नियुक्त किये जायेगें जिस क्रम में उपनियम (8) के अधीन फिर से क्रमबद्ध सूची में उनके नाम आयें हों:	

स्तम्भ–1

विद्यमान नियम

प्रतिबन्ध यह है कि यदि नियुक्ति प्राधिकारी को किसी समय यह प्रतीत हो कि अस्थायी या स्थानापन्न रिक्ति के प्रति नियुक्त सेवा के सदस्य ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है अथवा अन्य प्रकार से संतुष्ट करने में असफल रहा है, तो वह उसे बिना कोई कारण दिये, उस पद पर प्रत्यावर्तित कर सकता है, जिस पर से उसकी पदोन्नति हुई थी।

(12) उपनियम (11) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए सूची 'ख' के शेष अभ्यर्थी भर्ती के आगामी वर्ष में सूची 'क' के लिये पहली बार चयन किये गये किसी अभ्यर्थी के अधिमान में नई मौलिक रिक्तियों के प्रति नियुक्त किये जायेंगे।

स्तम्भ–2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

(2) जहाँ पदोन्नति के लिये मानदण्ड योग्यता हो, वहाँ नियुक्ति प्राधिकारी ज्येष्ठतम अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगा, जिसमें नाम, यथा सम्भव रिक्तियों की संख्या के तीन गुना किन्तु न्यूनतम आठ होंगे;

प्रतिबन्ध यह है कि यदि भर्ती एक से अधिक भर्ती वर्ष के दौरान होने वाली रिक्तियों के लिये की जानी हो तो ऐसे प्रत्येक वर्ष के सम्बन्ध में पृथक–पृथक पात्रता सूचियां तैयार की जायेंगी और ऐसी स्थिति में भर्ती के द्वितीय और अनुवर्ती वर्षों के लिये पात्रता सूची तैयार करते समय, पात्रता सूची में सम्मिलित किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या निम्नलिखित होगी:–

(i) **द्वितीय वर्ष के लिये**–उक्त अनुपात के अनुसार संख्या और प्रथम वर्ष की रिक्तियों की संख्या का योग।

(ii) **तृतीय वर्ष के लिये**–उक्त अनुपात के अनुसार संख्या और प्रथम और द्वितीय वर्ष की रिक्तियों की संख्या का योग और इसी प्रकार आगे भी :

प्रतिबन्ध यह और है कि जिन अभ्यर्थियों को प्रथम दृष्ट्या, पदोन्नति के लिये उपयुक्त न समझा जाय, उनकी गणना उक्त अनुपात के लिये नहीं की जायेगी और उनके नाम के समक्ष उनके सम्बन्ध में इस प्रकार विचार न किये जाने के आशय की एक टिप्पणी उल्लिखित कर दी जायेगी।

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
	(3) जहाँ पदोन्नति के लिये मानदण्ड 'अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, ज्येष्ठता' हो, वहाँ नियुक्ति प्राधिकारी प्रत्येक वर्ष में उपलब्ध रिक्तियों के आलोक में ज्येष्ठतम पात्र अभ्यर्थियों की एक सूची, यथा सम्भव निम्नलिखित अनुपात में तैयार करेगा :– (i) **1 से 5 रिक्तियों के लिये–** रिक्तियों की संख्या का दोगुना किन्तु कम से कम पांच; (ii) **5 से अधिक रिक्तियों के लिये–** रिक्तियों की संख्या का डेढ़ गुना किन्तु कम से कम दस; प्रतिबन्ध यह है कि यदि भर्ती, एक से अधिक भर्ती वर्ष के दौरान होने वाली रिक्तियों के लिये की जानी हो तो ऐसे प्रत्येक वर्ष के सम्बन्ध में पृथक–पृथक पात्रता सूचियां तैयार की जायेंगी और ऐसी स्थिति में द्वितीय और अनुवर्ती भर्ती वर्ष के लिये पात्रता तैयार करने के दौरान पात्रता सूची में सम्मिलित किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या निम्नलिखित होगी:– (i) **द्वितीय वर्ष के लिये**–उक्त अनुपात के अनुसार संख्या और प्रथम वर्ष में रिक्तियों की संख्या का योग; (ii) **तृतीय वर्ष के लिये**–उक्त अनुपात के अनुसार संख्या और प्रथम और द्वितीय वर्ष में रिक्तियों की संख्या का योग और इसी प्रकार आगे भी; प्रतिबन्ध यह और है कि जिन अभ्यर्थियों को प्रथम दृष्ट्या, पदोन्नति के लिये उपयुक्त न समझा जाये, उनकी गणना उक्त अनुपात के लिये नहीं की जायेगी और इस आशय की टिप्पणी, कि उन पर विचार नहीं किया गया है, उनके नामों के समक्ष उल्लिखित कर दी जायेगी।

18–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये नियम 28 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:– नियम 28 का निकाला जाना

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
वृत्त लेखक प्रवरण श्रेणी के पद पर भर्ती की प्रकिया– (1) सिवाय उपनियम (3) में की गयी अन्यथा व्यवस्था के नियुक्ति प्राधिकारी ज्येष्ठतम से अभ्यर्थियों को जो नियम 6	निकाल दिया गया।

स्तम्भ–1
विद्यमान नियम

के अधीन वृत्त लेखक (प्रवरण श्रेणी) के लिये पात्र हों, एक सूची जो पात्रता सूची कहलायेगी तैयार करेगा और जिसमें, यथासम्भव, निम्नलिखित अनुपात में नाम दिये जायेंगे।

1 से 5 तक रिक्तियों के लिये–
रिक्तियों की संख्या का दुगना किन्तु कम से कम 5

5 से अधिक रिक्तियों के लिये–
रिक्तियों की संख्या से डेढ़ गुना किन्तु कम से कम 10

नियम 2 के उप नियम (1) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड तथा स्पष्टीकरण आवश्यक परिवर्तन के साथ इस नियम में लागू होंगे।

(2) नियम 27 में नियत शेष प्रक्रिया आवश्यक परिवर्तन के साथ इस नियम के अधीन की गयी पदोन्नति पर लागू होगी, सिवाय इसके कि नियम 27 में अभिविष्ट सूची 'क' और 'ख' दोनों में से प्रत्येक चयन समिति द्वारा अनुपयुक्त व्यक्तियों को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता क्रम में तैयार की जायेगी और उपयुक्त समझे गये अभ्यर्थियों में से ज्येष्ठतम अभ्यर्थी सूची 'क' में रखे जायेंगे।

(3) उप नियम (1) तथा (2) में किसी बात के होते हुये भी यदि किसी दशा में भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या कम हो और नियुक्ति प्राधिकारी का यह विचार हो कि ज्येष्ठतम अभ्यर्थी या अभ्यर्थीगण पदोन्नति के लिये पूर्णतः योग्य है और तदनुसार कोई अतिक्रमण नहीं होता है तो आयोग यदि वह नियुक्ति प्राधिकारी के विचार से सहमत हों, प्रस्ताव का सीधे अनुमोदन कर सकता है। उस दशा में कोई भी चयन समिति संघटित करने की आवश्यकता नहीं है और इस प्रकार अनुमोदित अभ्यर्थीगण पदोन्नति के लिये यथाविधि चयन किये गये समझे जायेंगे।

स्तम्भ–2
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

19–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये नियम 33 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:– नियम 33 का संशोधन

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(33) परिवीक्षा–	(33) परिवीक्षा–
(1) सचिवालय में किसी पद पर मौलिक नियुक्ति के लिये 2 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा।	किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किया गया व्यक्ति उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली, 2013 (समय–समय पर यथासंशोधित) के अनुसार परिवीक्षा पर रखा जायेगा। इस नियमावली के प्रख्यापन के समय उक्त नियमावली के उपवंध निम्नवत् है:– (1) सीधी भर्ती के माध्यम से, किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा। नियुक्ति प्राधिकारी व्यक्तिगत मामलों में, अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से वह दिनांक, जब तक के लिये अवधि बढ़ायी जाय, विनिर्दिष्ट करते हुये परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है: प्रतिबन्ध यह है कि, आपवादिक परिस्थितियों को छोड़कर, परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।
(2) परिवीक्षा का काल पदभार ग्रहण करने की तिथि से गिना जायेगा।	(2) भर्ती के स्रोतों में से यदि एक स्रोत सीधी भर्ती हो तो पदोन्नति द्वारा किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा। नियुक्ति प्राधिकारी, व्यक्तिगत मामलों में, अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से वह दिनांक, जब तक के लिये अवधि बढ़ायी जाय, विनिर्दिष्ट करते हुये परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है: प्रतिबन्ध यह है कि, आपवादिक परिस्थितियों को छोड़कर परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।
(3) संवर्ग के किसी पद पर अथवा किसी उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा नियुक्ति प्राधिकारी के स्व–विवेक में परिवीक्षा–अवधि के लिये संगणना में सम्मिलित की जा सकती है।	(3) सुसंगत सेवा नियमावली में विहित प्रक्रिया के अनुसरण में किसी पद पर समायोजन, आमेलन या संविलियन द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को एक वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा। नियुक्ति प्राधिकारी व्यक्तिगत मामलों में, अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से वह दिनांक, जब तक के लिये अवधि बढ़ायी जाय, विनिर्दिष्ट करते हुये परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है:

स्तम्भ–1
विद्यमान नियम

स्तम्भ–2
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

प्रतिबन्ध यह है कि, आपवादिक परिस्थितियों को छोड़कर परिवीक्षा अवधि छः माह से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी और किसी भी परिस्थिति में एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(4) परिवीक्षा अविध–सामान्यतः एक वर्ष तक के लिये लिखित पर्याप्त कारणों के आधार पर बढ़ायी जा सकती है। प्रत्येक बढ़ायी गई परिवीक्षा अवधि के आदेश में वह ठीक दिनॉक निर्दिष्ट होगा जब तक के लिये वह बढ़ायी गयी हो। विशेष परिस्थितियों में परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक समय तक के लिये भी बढ़ायी जा सकेगी। परन्तु शर्त यह है कि परिवीक्षा अवधि दो वर्ष से अधिक न बढ़ायी जा सकेगी।

(4) किसी व्यक्ति को परिवीक्षा पर रखना आवश्यक न होगा, यदि उसे किसी ऐसे पद पर पदोन्नत किया गया हो, जहां भर्ती का स्रोत केवल पदोन्नति हो।

(5) यदि परिवीक्षा अवधि में अथवा परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है अथवा अन्यथा वह संतुष्टि प्रदान करने में विफल रहा है तो, उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(6) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उप नियम (5) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाये या जिसकी सेवायें समाप्त की जायें, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(7) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की गणना करने के प्रयोजनार्थ, जोड़े जाने की अनुमति दे सकता है।

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
	(7) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की गणना करने के प्रयोजनार्थ, जोड़े जाने की अनुमति दे सकता है।

20–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये नियम 40 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:– नियम 40 का संशोधन

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(40) प्रतिनियुक्ति पर सेवा की शर्तें: ऐसे निर्बन्धनों के अधीन और ऐसी सीमा तक जो नियुक्ति प्राधिकारी उधारदायी प्राधिकारी तथा वित्त विभाग की सहमति से आदेश द्वारा नियत करें, सचिवालय में प्रतिनियुक्ति किसी व्यक्ति को, उसकी सचिवालय में किसी पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि में सेवा की उन्हीं शर्तों के अधीन रहने की अनुज्ञा दी जा सकेगी जिनका वह सचिवालय में अपनी प्रतिनियुक्ति के ठीक पूर्व अधिकारी था।	**(40) प्रतिनियुक्ति पर सेवा की शर्तें:** ऐसे निर्बन्धनों के अधीन और ऐसी सीमा तक, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी, उधारदायी प्राधिकारी तथा वित्त विभाग की सहमति से, आदेश द्वारा अवधारित करें, सचिवालय में किसी पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति को, सेवा की उन्हीं शर्तो के अध्यधीन बने रहने की अनुज्ञा दी जा सकेगी जिनके लिये वह सचिवालय में अपनी प्रतिनियुक्ति के ठीक पूर्व हकदार था; प्रतिबन्ध यह है कि इस नियमावली को अधिसूचित किये जाने के समय प्रतिनियुक्ति की अवधि तीन वर्ष है जिसे पॉच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

21–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये नियम 48 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:– नियम 48 का संशोधन

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(48) सभापति की शिथिलीकरण की शक्ति : सभापति असाधारण परिस्थितियों में और आयोग के परामर्श से किसी पद के लिये इस नियमों में निर्धारित आयु सीमा को तथा शैक्षिक अर्हता के अतिरिक्त, अन्य अर्हताओं को, शिथिल कर सकते हैं।	**(48) नियमों को शिथिल करने की सभापति की शक्ति :** सभापति, आपवादिक परिस्थतियों में इस नियमावली में किसी पद के लिये विहित शैक्षिक अर्हता से भिन्न, आयु सीमा और अन्य अर्हताओं में शिथिलता प्रदान कर सकते हैं।

परिशिष्ट–1 का संशोधन

22–उक्त नियमावली में, नीचे अनुसूची–क में दी गयी परिशिष्ट–1 के स्थान पर अनुसूची–ख में दी गयी परिशिष्ट रख दी जायेगी, अर्थात्:–

अनुसूची–क
विद्यमान परिशिष्ट
परिशिष्ट–1
(नियम 3(3) तथा 30 देखें)

पदनाम	वेतनमान (रूपये)	पदों की संख्या	रिमार्कस
1	2	3	4
सचिव विधान परिषद्	182200–224100	1	स्थायी
समिति अधिकारी	500–25–650–30–800–50–1,000 या 800–50–1100	1	1 स्थायी (विशेष वेतन 100 रूपये प्रति माह)
अनुभाग अधिकारी	500–25–650–30–800–50–1,000 या 500–25–700–40–900–50–1,000	3	2 स्थायी 1 अस्थायी
निजी सचिव (प्रवरण श्रेणी)	800–50–1,100	1	स्थायी
मुख्य प्रतिवेदक	800–50–1,100	1	स्थायी
उप मुख्य प्रतिवेदक	500–25–650–30–800–50–1,000	1	अस्थायी

अनुसूची–ख
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट
परिशिष्ट–1
(नियम 3(3) तथा 30 देखें)

राजपत्रित अधिकारी

क्रम संख्या	पद नाम	पदों की संख्या			वेतनमान	
		स्थायी	अस्थायी	कुल	पे मैट्रिक्स लेवल	वेतन
1	2	3	4	5	6	7
1	प्रमुख सचिव	1	–	1	15	182200 – 224100
2	विशेष सचिव	1	1	2	13क	131100 – 216600
3	प्रधान निजी सचिव	1	–	1	13क	131100 – 216600
4	संयुक्त सचिव	1	1	2	13	123100 – 215900
5	विशेष सचिव एवं वित्त नियंत्रक	–	1	1	13क	131100 – 216600
6	प्रमुख प्रतिवेदक	1	–	1	13	123100 – 215900

अनुसूची—क **विद्यमान परिशिष्ट** **परिशिष्ट—1** (नियम 3(3) तथा 30 देखें)				अनुसूची—ख **एतदद्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट** **परिशिष्ट—1** (नियम 3(3) तथा 30 देखें)						
				राजपत्रित अधिकारी						
				क्रम संख्या	पद नाम	पदों की संख्या			वेतनमान	
पदनाम	वेतनमान (रूपये)	पदों की संख्या	रिमार्कस			स्थायी	अस्थायी	कुल	पे मैट्रिक्स लेवल	वेतन
1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7
निजी सचिव ग्रेड—(2)	500—25—650—30—800—50—1,000 या 500—25—700—40—900—50—1,000	1	स्थायी	7	निजी सचिव श्रेणी—4	1	1	2	13	123100 — 215900
मार्शल	550—30—700—50—900—50—1,200	1	अस्थायी	8	उप सचिव	3	1	4	12	78800—209200
हिन्दी रिपोर्टर (सेलेक्शन ग्रेड)	450—25—650—30—800—50—950	1	स्थायी	9	निजी सचिव श्रेणी—3	1	1	2	12	78800—209200
				10	विशेष कार्याधिकारी प्रकाशन	—	1	1	12	78800—209200
हिन्दी रिपोर्टर	450—25—575—25—700—30—850	7	स्थायी	11	मुख्य प्रतिवेदक	1	1	2	12	78800—209200
प्रवर वर्ग सहायक	350—15—500—20—600—25—700	14	10 स्थायी 04 अस्थायी	12	उप मुख्य प्रतिवेदक	2	2	4	11	67700—208700
वैयक्तिक सहायक	350—15—500—20—600—25—700	4	स्थायी	13	अनुसचिव	3	2	5	11	67700—208700

अनुसूची—क

विद्यमान परिशिष्ट

परिशिष्ट—1

(नियम 3(3) तथा 30 देखें)

पदनाम	वेतनमान (रूपये)	पदों की संख्या	रिमार्कस
1	2	3	4
लेखाकार एवं कोषाध्यक्ष	350—15—500—20—600—25—700	1	स्थायी
अवर वर्ग सहायक	280—8—320—9—410—10—450	12	11 स्थायी 1 अस्थायी
टंकक	200—5—250—6—280—8—320	3	अस्थायी
वहन चालक	185—3—215—4—235—8—265	2	1 स्थायी 1 अस्थायी (50 रूपये प्रतिमाह विशेष वेतन)
जमादार	170—2—190—3—205—4—225	3	स्थायी
दफ्तरी	170—2—190—3—205—4—225	1	स्थायी
चपरासी	165—2—185—3—215	16	स्थायी
स्वीपर	165—2—185—3—215	1	स्थायी

अनुसूची—ख

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट

परिशिष्ट—1

(नियम 3(3) तथा 30 देखें)

राजपत्रित अधिकारी

क्रम संख्या	पद नाम	पदों की संख्या			वेतनमान	
		स्थायी	अस्थायी	कुल	पे मैट्रिक्स लेवल	वेतन
1	2	3	4	5	6	7
14	अनुसचिव एवं समिति अधिकारी	2	—	2	11	67700—208700
15	अनुसचिव एवं विधायी अधिकारी	1	—	1	11	67700—208700
16	निजी सचिव (श्रेणी—2)	2	2	4	11	67700—208700
17	मुख्य सम्पादक	1	—	1	11	67700—208700
18	मार्शल	1	—	1	10	56100—177500
19	शोध अधिकारी	1	—	1	10	56100—177500

अनुसूची—क

विद्यमान परिशिष्ट

परिशिष्ट—1

(नियम 3(3) तथा 30 देखें)

पदनाम	वेतनमान (रूपये)	पदों की संख्या	रिमार्कस
1	2	3	4

अनुसूची—ख

एतदद्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट

परिशिष्ट—1

(नियम 3(3) तथा 30 देखें)

राजपत्रित अधिकारी

क्रम संख्या	पद नाम	पदों की संख्या			वेतनमान	
		स्थायी	अस्थायी	कुल	पे मैट्रिक्स लेवल	वेतन
1	2	3	4	5	6	7
20	अनुभाग अधिकारी	10	—	10	10	56100—177500
21	अनुभाग अधिकारी (लेखा)	1	—	1	10	56100—177500
22	व्यवस्थाधिकारी	1	—	1	7	44900—142400
23	निजी सचिव (श्रेणी—1)	12	—	12	10	56100—177500
24	सम्पादक	1	—	1	10	56100—177500
25	सूचना अधिकारी	1	—	1	7	44900—142400
26	वृत्त लेखक	9	—	9	10	56100—177500
27	डिप्टी मार्शल	1	—	1	7	44900—142400
	योग	60	14	74		

* उत्तर प्रदेश संसदीय कार्य अनु0 की अधिसूचना संख्या 1357 / सत्रह—सं—1—2003—385 / 2003, दिनांक 4 अगस्त, 2003 द्वारा प्रतिस्थापित।

अराजपत्रित कर्मचारी (श्रेणी–3)

क्रम संख्या	पद नाम	पदों की संख्या			वेतनमान	
		स्थायी	अस्थायी	कुल	पे मैट्रिक्स लेवल	वेतन
1	2	3	4	5	6	7
1	समीक्षा अधिकारी	34	–	34	8	47600–151100
2	संदर्भ लिपिक	4	–	4	8	47600–151100
3	अपर निजी सचिव	24	–	24	8	47600–151100
4	सहायक मार्शल	1	–	1	6	35400–112400
5	समीक्षा अधिकारी (लेखा)	2	–	2	8	47600–151100
6	समीक्षा अधिकारी (लेखा)	1	–	1	8	47600–151100
7	शोध सहायक	4	–	4	6	35400–112400
8	सहायक समीक्षा अधिकारी	47	–	47	7	44900–142400 (सहायक समीक्षा अधिकारी के 3 पद, जिन्हें आस्थगित करते हुए कनिष्ठ लिपिक के 3 पद सृजित किये गये हैं, को मूल सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है।)
9	वरिष्ठ सुरक्षा सहायक	1	–	1	4	25500–81100
10	वाहन चालक	8	–	8	–	–
	वाहन चालक ग्रेड–4	–	–	2	2	19900–63200
	वाहन चालक ग्रेड–3	–	–	2	4	25500–81100
	वाहन चालक ग्रेड–2	–	–	2	5	29200–92300
	वाहन चालक ग्रेड–1	–	–	1	6	35400–112400
	वाहन चालक विशेष श्रेणी	–	–	1	7	44900–142400
11	कम्प्यूटर सहायक	1	4	5	4	25500–81100
12	सुरक्षा सहायक (पुरुष)	18	–	18	3	21700–69100
13	सुरक्षा सहायक (महिला)	3	–	3	3	21700–69100
	योग	148	4	152		

अराजपत्रित कर्मचारी (श्रेणी–4)

क्रम संख्या	पद नाम	पदों की संख्या			वेतनमान	
		स्थायी	अस्थायी	कुल	पे मैट्रिक्स लेवल	वेतन
1	2	3	4	5	6	7
1	टाइप राइटर मैकेनिक	1	–	1	2	19900–63200
2	साइक्लोस्टाइल आपरेटर	3	–	3	2	19900–63200
3	वरिष्ठ अनुसेवक	10	–	10	2	19900–63200
4	दफ्तरी	1	–	1	2	19900–63200
5	अनुसेवक	56	–	56	1	18000–56900
6	स्वीपर	4	–	4	1	18000–56900
	योग	75	–	75		

पद	स्थायी	अस्थायी	योग
राजपत्रित	60	14	74
अराजपत्रित (तृतीय श्रेणी)	148	4	152
अराजपत्रित (चतुर्थ श्रेणी)	75	–	75
कुल योग	283	18	301

आज्ञा से,
जे0 पी0 सिंह–II,
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकार
संसदीय कार्य अनुभाग–1

संख्या 532/90सं0–1–2020–38सं–2003
लखनऊ, 23 सितम्बर 2020

अधिसूचना

सा0पी0नि0–59

संविधान के अनुच्छेद 187 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, सभापति, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के परामर्श से उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियमावली, 1976 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं।

उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (पंचम संशोधन) नियमावली, 2020

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (पंचम संशोधन) नियमावली, 2020 कही जायेगी।

(2) यह दिनांक 14 जनवरी, 2020 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

नियम 10 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियमावली, 1976 में नियम 10 में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये उपनियम (7) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 **विद्यमान नियम**	स्तम्भ–2 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
(7) सहायक समीक्षा अधिकारी– (एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता। (दो) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर विज्ञान में स्नातक की उपाधि अथवा डिप्लोमा। (तीन) नीलिट (पूर्व डी०ओ०इ०ए०सी०सी० सोसाइटी) द्वारा प्रदत्त 'ओ' लेवल प्रमाण पत्र अथवा उसके समकक्ष कोई अर्हता । (चार) कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति : प्रतिबन्ध यह है कि अंग्रेजी टंकण का ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जायेगा।	**(7) सहायक समीक्षा अधिकारी–** (एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता। (दो) नीलिट (पूर्व डी०ओ०इ०ए०सी०सी० सोसाइटी) द्वारा प्रदत्त 'ओ' लेवल प्रमाण पत्र अथवा उसके समकक्ष कोई अर्हता। (तीन) कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति : प्रतिबन्ध यह है कि अंग्रेजी टंकण का ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जायेगा ।

आज्ञा से,
जे0 पी0 सिंह–II,
प्रमुख सचिव।

पी0एस0यू0पी0–1 सा0 विधान परिषद्–25–10–2023–(1836)–100 प्रतियां (कम्प्यूटर)।

1 Samanya Vidhan Parishad 2023 data le